Fifteenth Lok Sabha
IV Session (22/02/2010 to 07/05/2010)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 55

अपराह्न 12.25 बजे

1. राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण — सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 22 फरवरी, 2010 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं से दसवीं लोक सभा और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले; चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री नागेश्वर द्विवेदी; सातवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री जगपाल सिंह; सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री विरधी चन्दर जैन और; आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री रामनिवास मिर्धा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 13 फरवरी, 2010 को पुणे में एक बेकरी में हुए आतंकवादी हमले में विदेशी नागरिकों सहित 15 व्यक्तियों की मृत्यु और 60 लोगों के घायल होने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने 15.2.2010 को पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के सिल्दा कैम्प में नक्सली हमले में अर्द्धसैनिक बलों के 20 जवानों की मृत्यु और 18.2.2010 को बिहार के जमुई जिले के फुलवारी गांव में एक अन्य नक्सली हमले में 11 ग्रामीणों की मृत्यु का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.44 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत, 23 जनवरी, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 30 दिसम्बर, 2009 की उद्घोषणा जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 930(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य के संबंध में 19 जनवरी, 2009 को उनके द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंग्रहण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नवीन जिन्दल ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री नवीन जिन्दल ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.45 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—455LS—22-02-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 फरवरी, 2010/4 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 56

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौथी, पांचवीं, छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र; चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री ब्रह्मानंद पंडा; पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य श्री चौखामून गोहेन; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री डी॰ एन॰ रेड्डी और ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मधुकर सरपोतदार के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

2. लोक सभा में विपक्ष की नेता

अध्यक्ष ने घोषणा की कि संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 के अनुसार उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज, लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की नेता को 21 दिसंबर, 2009 से लोक सभा में विपक्ष की नेता के रूप में मान्यता दी है।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

3. सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की अपनी सूचनाओं के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज

2. श्री मुलायम सिंह यादव

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.26 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

4. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 53 के अंतर्गत समपहृत संपत्ति का मूल्य निर्धारण (संशोधन) नियम, 2009 जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 862(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत टेलीकम्यूनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टिबलिटी पर पोर्ट ट्रांजक्शन चार्ज एण्ड डिप्पिंग चार्ज विनियम, 2009 जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-5/2009-एमएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰, पटना के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰, पटना का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि॰ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 302(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11)(एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 20 नवम्बर, 2009 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009;
2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009;
3. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2009;
4. झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009;
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2009;
6. विधिक माप विज्ञान विधेयक, 2009; और
7. संविधान (पंचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2009।

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयकों की, राज्य सभा के महासविच द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009;
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009;
3. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2009;

4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2009;
5. कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009;
6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2009;
7. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009;
8. सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2009;
9. मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2009;
10. नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009; और
11. रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों पर व्यय' के बारे में श्री बी॰ वाई॰ राघवेन्द्र, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4014 के 15.12.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य दिया।

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.12 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री पी॰ सी॰ चाको द्वारा पलक्कड, केरल में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कोडिकुनिल सुरेश द्वारा मवेलीक्करा, अलप्पुझा जिला, केरल में ललित कला विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों को जोड़ने वाली थुरावूर-पंबा सड़क और पुलों के निर्माण के लिए निधियों की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा महाराष्ट्र से एक नए राज्य विदर्भ का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश में राय बरेली और प्रतापगढ़ जिलों से गुजरने वाली बकुलाही नदी की ड्रेजिंग और नदी पर बांध, रोक बांध और पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा पश्चिम चंपारण जिला, बिहार में वाल्मीकि नगर को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) एडवोकेट ए॰ संपथ द्वारा केरल सरकार के स्वामित्व वाली 'एअर केरल' हवाई सेवा शुरू किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा के नुआपाडा जिले में फ्लोराइड की समस्या से निपटने के लिए पाइप के जरिए जल आपूर्ति की परियोजनाओं को प्राथमिकता क्रम दिए जाने और राज्यों को केन्द्र के अंश के निर्धारण के लिए मानदण्डों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र, तमिलनाडु में भर्ती में विस्थापित व्यक्तियों के वैध वारिसों को तरजीह दिए और प्रशिक्षुओं के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन की स्थिति में सुधार किए जाने और हल्दिया पत्तन की ओर विभिन्न उपगमन चैनलों को ड्रेजिंग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.12 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—570LS(S5)—23-02-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 फरवरी, 2010/5 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 57

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—439 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की अपनी सूचनाओं के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री शरद यादव
2. श्री दारा सिंह चौहान
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री भर्तृहरि महताब

6. श्री अनंत गंगाराम गीते
7. श्री नामा नागेश्वर राव
8. श्री लालू प्रसाद
9. श्री गुरुदास दासगुप्त
10. डा॰ रतन सिंह अजनाला

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, श्रीमती सुषमा स्वराज, सर्वश्री गोपीनाथ मुंडे, अनंत कुमार, सुमित्रा महाजन, डा॰ राजन सुशान्त, श्री गुरुदास दासगुप्त, कुंवर रेवती रमन सिंह, श्री बसुदेव आचार्य, डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री शरद यादव, श्री दारा सिंह चौहान, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और डा॰ रतन सिंह अजनाला ने सभा के कार्य को स्थगित करने की सूचनाएं दी हैं।

माननीय सदस्यों, मैंने पिछले दो दिनों में सभा के नियमों तथा साथ ही साथ पूर्वोदाहरणों को ध्यान में रखते हुए इन सूचनाओं की ध्यानपूर्वक जांच की है और सभा में सदस्यों को भी सुना है। ये सभी सूचनाएं मूल्य वृद्धि से संबंधित हैं जो एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। पूरा देश इस बारे में चिंतित है और इसका समाधान ढूंढने के लिए संसद से अपेक्षा रखता है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मूल्य वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में अध्यक्षपीठ भी समान रूप से चिंतित है।

मेरा विचार है कि इस सभा का कर्तव्य है कि इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाए। अब प्रश्न यह है कि क्या स्थगन की सूचनाएं नियमों के अंतर्गत ग्राह्य हैं। नियम 56 के अनुसार अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा सभा का कार्य स्थगित करके की जा सकती है। नियम में 'अविलंबनीय' शब्द की मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने बहुत से विनिर्णयों में व्याख्या दी है।

इन विनिर्णयों के अनुसार, ''अविलंबनीय लोक महत्व के मामले'' अत्यंत आवश्यक होने पर ही सहसा उठाए गए होंगे। इसके अलावा, यह निर्णय भी दिया गया है कि अध्यक्षपीठ को स्थगन प्रस्ताव से संबंधित नियम में प्रयुक्त 'अविलंबनीय' शब्द के तकनीकी अर्थ को ध्यान में रखना होगा।

नियम 58(iii) में कहा गया है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहेगा।

मेरे समक्ष स्थगन प्रस्ताव अर्थात् मूल्य वृद्धि की सूचनाओं की विषय वस्तु अत्यंत आवश्यक होने पर ही सहसा ही नहीं उठाई गई है। पिछले सत्र में भी इस सभा में इस पर चर्चा की गई थी।

इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह मुद्दा इस अर्थ में हाल ही में घटित या अविलंबनीय है जिस अर्थ में इसका इस नियम में प्रयोग हुआ है।

इन सूचनाओं की जांच एक अन्य नियम अर्थात् नियम 58 (VI) प्रत्याशा का नियम के संबंध में भी की जा सकती है। इस सभा में शीघ्र ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सामान्य बजट पर चर्चा की जाने वाली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में मूल्य वृद्धि के बारे में उल्लेख शामिल हैं और इस पर निश्चित रूप से इन वाद-विवादों के दौरान चर्चा की जाएगी। इस संदर्भ में, मैं इस सभा के प्रतिष्ठित अध्यक्षों में से एक श्री जी॰वी॰ मावलंकर द्वारा दिए गए एक विनिर्णय का उद्धरण देना चाहूंगी। मैं उद्धृत करती हूं:

> ''... स्थगन प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार की कतिपय सीमाएं हैं। इनमें से एक यह है कि इससे सभा में किसी वाद-विवाद की प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों को यदि वाद-विवाद पर प्रश्न उठाने का सही अवसर मिल रहा है तो उसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।''

मैं सभा के नियमों से बंधी हूँ। मैं अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों के विनिर्णयों को भी अनदेखा नहीं कर सकती। सभा के नियम तथा इस विषय पर पिछले विनिर्णय मुझे इन सूचनाओं को गृहीत करने की अनुमति नहीं देते।

तथापि, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा है, इन सूचनाओं की विषय-वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करना सभा का कर्त्तव्य बनता है। माननीय सदस्यों ने नियम 193 के अंतर्गत भी सूचनाएं दी हैं। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रत्याशा के नियम को मैंने स्थगन प्रस्ताव के मामले में लागू किया है वह नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के संबंध में भी लागू होता है। तथापि, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में प्रत्याशा का नियम अनिवार्य स्वरूप का है, जबकि नियम 193 के अंतर्गत सूचना के मामले में यह लचीला तथा उदारतापूर्ण व्याख्या पर आधारित है।

माननीय सदस्य मूल्य वृद्धि पर विस्तृत तथा केन्द्रित चर्चा चाहते हैं। यद्यपि धन्यवाद प्रस्ताव तथा सामान्य बजट पर वाद-विवाद शुरू होना है, जिनके दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है, तथापि, मूल्य वृद्धि की गंभीरता जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है, पर विचार करते हुए मैं इस पर आज ही चर्चा करने की अनुमति देना चाहूंगी। यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होगी। यह रेल बजट के पश्चात् शुरू की जा सकती है।''

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.44 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 874(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 875(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 876(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 878(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 881(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 882(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 1 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सा॰का॰नि॰ 919(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जनवरी, 2010 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक वे केरल प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

(3) (एक) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री ए॰के॰एस॰ विजयन ने ''संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना—एक समीक्षा'' विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (2009-10) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकरण के बारे में 91वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) विदेश मंत्री ने ''पाकिस्तान में एक सिख का सिर काटे जाने'' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री गोपीनाथ मुंडे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री गोपीनाथ मुंडे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 23 फरवरी, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

8. बजट (रेल)—2010-2011

कुमारी ममता बनर्जी ने रेल के संबंध में वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.01 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा उचित यात्रा दस्तावेजों के अभाव के कारण विदेशों में भारतीय नागरिकों को हो रही समस्याओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा करीम नगर जिला मुख्यालय और हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश के बीच एक नई रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों के अध्यापनेतर कर्मचारियों का वेतन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/अधिकारियों के वेतन के बराबर लाने के लिए वेतन समीक्षा समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर में सोन चिरैया अभयारण्य की सीमा चिन्हित किए जाने और अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्र में खुदाई क्रियाकलापों की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को देश के अन्य भागों के साथ जोड़ने के लिए रेलगाड़ियों को पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा अहमदाबाद-उदयपुर रेल लाईन पर हिम्मतनगर में आपातकालीन सेवाएं स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराए जाने के लिए लेवल क्रॉसिंग संख्या 213-सी को रात्रि में खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रामकिशुन द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत बाणसागर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए निधियां दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कानपुर शहर और जजमाऊ को प्रदूषणमुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव द्वारा पटना, बिहार के मसौढ़ी में एलपीजी एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 25 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—680LS—24-02-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 58

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सचिन तेंदुलकर को ग्वालियर में 24 फरवरी, 2010 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बनने पर बधाई दी।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वर्तमान श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को भी बधाई दी।

अपराह्न 11.01 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, मैंने कल मूल्य वृद्धि पर नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी थी। तथापि, यह चर्चा कल शुरू नहीं की जा सकी। इस चर्चा को अब आज की कार्य-सूची में शामिल किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं द्वारा मूल्य वृद्धि के इस अत्यधिक महत्वपूर्ण, गंभीर और ज्वलंत मुद्दे पर व्यक्त भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रश्न काल न लेते हुए इस पर तत्काल चर्चा शुरू की जाए।

माननीय सदस्यों, श्री रमेश बैस, जिन्हें चर्चा शुरू करने के लिए बैलट में पहली पूर्ववर्तिता प्राप्त हुई थी, ने मुझसे अनुरोध किया है कि चर्चा शुरू करने के लिए उनके स्थान पर माननीय विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज को अनुमति दी जाए। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया...''।

3. प्रश्न

अध्यक्ष की टिप्पणी के अनुसार, प्रश्न काल नहीं लिया गया और तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 440—669 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक समीक्षा 2009-2010 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोक उद्यम समीक्षा, 2008-2009 (भाग एक से तीन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के निष्पादन से संबंधित 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त उप या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2009 जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 934(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस॰ ए॰ एस॰ नगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग 2010—2015 (दिसम्बर, 2009) (भाग एक-रिपोर्ट और भाग दो-उपाबंध) की रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5.* मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने ''आस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 2 मार्च, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाहन 11.05 बजे

7. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 8 घंटे 14 मिनट

श्रीमती सुषमा स्वराज ने मूल्य वृद्धि पर चर्चा शुरू की।

---

*अपराह्न 12.12 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संजय निरूपम
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री शरद यादव
5. डा॰ काकोली घोष दस्तिदार
6. श्री टी॰आर॰ बालू
7. श्री बसुदेव आचार्य
8. श्री प्रणव मुखर्जी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री अनंत गंगाराम गीते
11. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. श्री लालू प्रसाद
14. श्री गुरुदास दासगुप्त
15. *डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
16. *श्री राधा मोहन सिंह
17. *श्री रबीन्द्र कुमार पाण्डेय
18. *श्री कौशलेन्द्र कुमार
19. *डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
20. *श्री बृजभूषण शरण सिंह
21. डा॰ रतन सिंह अजनाला
22. श्री नरहरि महतो
23. *श्री वीरेन्द्र कश्यप

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

24. *श्री प्रेमदास कथीरिया

25. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

26. *श्री शैलेन्द्र कुमार

27. *श्री गोरखनाथ पाण्डेय

28. *श्री प्रेम दास राय

29. श्री राजू शेट्टी

30. *डा॰ पी॰एल॰ पुनिया

31. *श्री तूफानी सरोज

32. *श्री पी॰ करुणाकरन

33. *डा॰ बलीराम

34. *श्री अर्जुन राम मेघवाल

35. *श्री शेख सैदुल हक

श्री शरद पवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

8.@ बैठक रद्द किए जाने के संबंध में घोषणा

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा और सभा द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, मंगलवार, 2 मार्च, 2010 के लिए नियत लोक सभा की बैठक रद्द कर दी गई है।

सायं 7.19 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 26 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
@सायं 6.04 बजे

GMGIPMRND—732LS(S5)—25-02-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 फरवरी, 2010/7 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 59

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. बजट (सामान्य)-2010-2011

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2010-2011 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.46 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे गए

श्री प्रणब मुखर्जी ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) वृहत् आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;
(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और
(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2010

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने "भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी, 2010 को हुई वार्ता" के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.48 बजे

(लोक सभा बुधवार, 3 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—761LS(S5)—26-02-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 3 मार्च, 2010/12 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 60

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 82 का मौखिक उत्तर दिया गया। व्यवधान के कारण सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई। तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 83—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 900—1118 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2 मार्च, 2010 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे जैसा कि सभा की बैठक उस दिन रद्द हो गई थी।

2 मार्च, 2010 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 670—899 के उत्तर भी उस दिन के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3122(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

(दो) का॰आ॰ 3123(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 142(अ) जो 21 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

(10) ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2010 जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 50(अ) जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11)(एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13)(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14)(एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(17) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#3. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

4. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस॰डी॰ शरीक ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

अपराह्न 2.01 बजे

* ये प्रतिवेदन माननीय लोक सभा अध्यक्ष (15वीं लोक सभा) के समक्ष अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत, 18 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किए गए जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दे दी थी।

*(1) ''इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय: नागर विमानन क्षेत्र पर इसका प्रभाव'' के बारे में एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।

(2) ''जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का संवर्द्धन'' विषय पर समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 152वां प्रतिवेदन।

(3) ''राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं का विकास'' विषय पर समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 153वां प्रतिवेदन।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ''दूरदर्शन की डीटीएच सेवा'' के बारे में श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी, संसद सदस्य द्वारा 23.02.2010 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.04 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी द्वारा योल छावनी क्षेत्र, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों को सिविल क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा नई उर्वरक नीति के अंतर्गत किसानों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* क्रम संख्या (1) पर दिया गया प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निर्देशों के निदेश संख्या 31(1) के अंतर्गत 21.1.2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन की एक प्रति लोक सभा की माननीय अध्यक्ष को अग्रेषित की गई थी।

(3) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के प्रतिष्ठित समाज सुधारक भारत केसरी मन्नाथू पद्मनाभन के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के सरकारी व्यापार और कारबार में विशेष कोटा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को जोड़ती बाईपास सड़क को बरास्ता आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर पुनर्संरेखण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा चम्बल नदी से राजस्थान में कोटा डिवीजन के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे मे।

(8) श्री बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरयू नदी से हुए कटाव को रोके जाने तथा क्षेत्र में बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में सहरसा जिले में महिषी स्थित उग्रतारा मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने तथा मंदिर स्थल पर समुचित सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित विषय-वस्तु को स्कूल से कॉलेज स्तर तक के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा और अनुसंधान आयोग विधेयक, 2010 को समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा खादी उत्पादों की खुदरा बिक्री पर छूट जारी रखे जाने तथा खादी उद्योग को दिए गए ऋणों के बकाया को माफ करने सहित खादी क्षेत्र को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रमेश राठौड़ द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.05 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.01 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.02 बजे

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

दिया गया समय	:	12 घंटे
लिया गया समय	:	3 घंटे 58 मिनट
शेष	:	8 घंटे 02 मिनट

श्री इन्द्रजीत सिंह राव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 22 फरवरी, 2010 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

कुमारी मीनाक्षी नटराजन ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

दो सौ सत्रह (संख्या 110-133, 152-169, 265-284, 428-437, 644-649, 650-659, 660-665, 703-734, 737-754, 894-935, 1465-1490 और 1756-1760) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री गोरख नाथ पाण्डेय
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
6. श्री बैजयंत 'जय' पांडा (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.33 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 4 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—856LS(S5)—03-03-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 4 मार्च, 2010/13 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 61

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 102—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 101 और 106—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1119—1348 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखत पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत 1 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 39 जिसके द्वारा राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा मास्टर डिग्री और डॉक्टर ऑफ फिलॉसोफी से संबंधित उपलब्ध कराए जाने वाले पाठ्यक्रम को विनियमित करने वाले अध्यादेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1546(अ) जो 25 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खरीफ फसल 2009 के दौरान यूरिया की आपूर्ति दर्शाने वाला आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 652(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पांडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रक्षा और संबद्ध सेवाओं में विवाहित आवास की स्थिति' विषय पर समिति के 30वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(2) 'सशस्त्र बल में तनाव प्रबंधन' विषय पर समिति के 31वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(3) 'रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण—सरकारी-निजी भागीदारी' विषय पर समिति के 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिस्वाल ने 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन—कर्मचारी पेंशन योजना, 1995' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 208वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 212वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 209वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 213वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 210वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 214वां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने 'प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2009-10

कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2009-2010 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2007-08

कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2007-2008 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.18 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा पैदल चलने वालों तथा दोपहिया वाहन चालकों के सुगम आवागमन के लिए गुजरात के बनासकांठा जिले में थारा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर उपरि पुल के नीचे सार्वजनिक सुविधाओं युक्त सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच होगेनेक्कल झरने के जल के बंटवारे संबंधी मुद्दे को सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा निजी क्षेत्र में कार्यरत नर्सों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ग्रामीण चिकित्सा कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आंध्र प्रदेश के जाहीराबाद और मेडक क्षेत्रों में किसानों को समुचित मात्रा में उर्वरक मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा भानूपल्ली-बिलासपुर-बेरी, घनौली-बद्दी, नांगल-तलवाडा और बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजनाओं का कार्य शुरू किए जाने तथा कोलकाता-आनंदपुर साहिब-नांगल बांध एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश में उना तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर और अधिक यात्री सुविधाएं मुहैया कराए जाने तथा इसका विश्व स्तर के स्टेशन के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा ट्रेनों में परोसी जा रही खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को मॉनीटर किए जाने तथा साथ ही रेलवे प्लेटफार्म स्टॉलों पर काम कर रहे हेल्परों तथा वेंडरों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा भंजानगर, जिला गंजम, उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु में सर्विस रोड का प्रावधान करते हुए तिरुचिरापल्ली पलपन्नई से तुवाक्कुडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 को छह लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ संजीव गणेश नायक द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ लिंगम द्वारा तमिलनाडु के थेनी जिले में वैथिराईरुप्पु पिलावक्कल डैम फूट हिल्स को वरुसनाडु से जोड़ते हुए सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री उमाशंकर सिंह द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिहार में सिवान और छपरा जिलों के गाँवों में बिजली दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(लोक सभा अपराह्न 12.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.03 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 1.03 बजे

12. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय : 11 घंटे 02 मिनट

शेष : 58 मिनट

श्री इन्द्रजीत सिंह राव द्वारा 3 मार्च, 2010 को पेश किए गए तथा कुमारी मीनाक्षी नटराजन द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 22 फरवरी, 2010 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वैजयंत 'जय' पांडा (अपना भाषण जारी रखा)
2. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
3. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री नामा नागेश्वर राव
6. श्री प्रबोध पांडा
7. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
*8. डा॰ वीरेन्द्र कुमार
9. श्री शेर सिंह घुबाया
*10. श्री अर्जुन राम मेघवाल
*11. डा॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
*12. श्री रमाशंकर राजभर
13. श्री अधीर रंजन चौधरी
*14. श्री निनोंग ईरींग
15. श्री योगी आदित्यनाथ
*16. श्री राधा मोहन सिंह
17. श्री अनंत गंगाराम गीते
18. डा॰ बलीराम
*19. श्री जोस के॰ मणि
20. श्री सुवेन्दु अधिकारी
*21. डॉ॰ तरुण मंडल
22. श्री इन्दर सिंह नामधारी
23. मौलाना असरारूल हक मोहम्मद

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

24. श्री गणेश सिंह
25. श्री शरीफुद्दीन शरीक
*26. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
27. श्री नरहरि महतो
28. श्री असादुद्दीन ओवेसी
29. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
*30. श्री विजय बहुगुणा
31. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला
*32. श्री शफीकुर्र रहमान बर्क
*33. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
34. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
*35. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
36. श्री लालू प्रसाद
*37. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
38. श्री ए॰ गणेशमूर्ति
39. श्री विष्णुपद राय
40. श्री नवीन जिन्दल
*41. श्री जगदम्बिका पाल
42. श्री कौशलेन्द्र कुमार
43. श्री जोसेफ टोप्पो
*44. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा
45. श्री राजू शेट्टी
46. श्री खगेन दास
47. प्रो॰ (डॉ॰) राम शंकर
48. श्री प्रदीप टम्टा
49. डा॰ रतन सिंह अजनाला
50. डा॰ भोला सिंह
51. श्री अबु हशीम खां चौधरी
52. श्री मोहन जेना

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**53. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

**54. श्री बदरूद्दीन अजमल

*55. डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*56. श्री तूफानी सरोज

*57. श्री राकेश सचान

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.24 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 5 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

#रात्रि 8.08 बजे से रात्रि 8.24 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—907LS—04-03-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 62

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौथी से बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री खगपति प्रधानी; और ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अशोक सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आश्रम में मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चे सहित 63 लोगों के मारे जाने तथा सैकड़ों लोगों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121—124 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 125—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1339—1578 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा युक्तिका और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1985 की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) देना बैंक (शेयर और मीटिंग) संशोधन विनियम, 2008, जो 15 अगस्त, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/आईआरसी/533/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बैंक (शेयर और मीटिंग) संशोधन विनियम, 2008, जो 7 नवम्बर, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएससी/522/2009-10 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक (शेयर और मीटिंग) संशोधन विनियम, 2008, जो 9 जनवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसीसी/आईआरसी/314/2009-10 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और मीटिंग) संशोधन विनियम, 2009, जो 9 जनवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और मीटिंग) संशोधन विनियम, 2009, जो 31 अक्तूबर, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसएमआर/02 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इलाहाबाद बैंक (शेयर और मीटिंग) संशोधन विनियम, 2009, जो 9 जनवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एसडी/660 में प्रकाशित हुए थे।

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 859(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 924(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 129/2008-सी॰शु॰ का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 925(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय लौह अयस्क फाइन्स पर निर्यात शुल्क दर ''शून्य'' से बढ़कर ''5% मूल्यानुसार'' करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 926(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 79/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 939(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 940(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 941(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 942(अ) और सा॰का॰नि॰ 943(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उद्गम नियम की पूर्ति के अध्यधीन भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विशिष्ट माल के आयात हेतु अधिमान्य टैरिफ का निर्धारण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 944(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उद्भव नियम की पूर्ति के अध्यधीन भारत और आसियान के बीच माल व्यापार समझौता के अधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए अधिमान्य टैरिफ निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 36(अ) जो 15 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 43(अ) जो 19 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 31(अ) जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 64(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 74(अ) जो 11 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 210(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 2890(अ) जो 13 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 3025(अ) जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में अंतरण अथवा विलोमत: के लिए विनिमय की संशोधित दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) का॰आ॰ 3059(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3207(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का॰आ॰ 3305(अ) जो 29 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में अंतरण अथवा विलोमत: के लिए विनिमय की संशोधित दर के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 3319(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का॰आ॰ 93(अ) जो 15 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का॰आ॰ 195(अ) जो 27 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में अंतरण अथवा विलोमत: के लिए विनिमय की संशोधित दर के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 41(अ) जो 19 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 189/2009-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सीमा शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य की सरकारों के बीच वरीयता प्राप्त व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्‌गम का निर्धारण) नियम, 2009, जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 936(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) सीमा शुल्क टैरिफ [भारत गणराज्य और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) की सदस्य सरकारों के बीच वरीयता प्राप्त व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्‌गम का निर्धारण] नियम, 2009, जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 937(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 867(अ) जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणतंत्र और इजरायल में उद्‌भूत या

वहां से निर्यात किए जाने वाले सिन्क्रोनस डिजीटल हाईरार्की ट्रांसमिशन उपस्कर पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 870(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी के मध्यावधि निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणतंत्र में उद्‌भूत या वहां से निर्यात किए जाने वाले सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयात पर विनिर्दिष्ट दर से लगाए जा रहे निश्चियात्मक प्रतिपाटन शुल्क को 15 अक्तूबर, 2011 तक जिसमें यह तिथि भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 871(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक बेलारूस में उद्‌भूत या वहां से निर्यात किए जाने वाले एक्रिलिक फाइबर के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 29 जून, 2010 तक जिसमें यह तिथि भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 872(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 873(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी के मध्यावधि निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत या वहां से निर्यात किए जाने वाले सैक्रीन के आयात पर विनिर्दिष्ट दर पर लगाए जा रहे निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को 5 जून, 2011 तक जिसमें यह तिथि भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 897(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी श्रेणी के फॉस्फोरिक एसिड और सभी सांद्रण (कृषि अथवा फर्टिलाइजर ग्रेड को छोड़कर) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 22 जून, 2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक पहले रद्द अधिक्रमित अथवा संशोधित न किया गया हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 898(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 74/2009–सी॰शु॰ को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 915(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय प्राधिकृत प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्स फैब्रिक के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तिथि अर्थात् 26 मार्च, 2009 से पांच वर्षों की अवधि के लिए (जब तक पहले रद्द अधिक्रमित अथवा संशोधित न किया गया हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 918(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी की मध्यावधि समीक्षा के निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले सोडियम नाइट्राइट के आयात पर विनिर्दिष्ट दर पर लगाए जा रहे निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को 16 जनवरी, 2011 तक जिसमें यह तिथि भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 922(अ) जो 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कोरिया गणतंत्र के उत्पादक/निर्यातक मेसर्स मेरीडियन सोलर एण्ड डिस्प्ले कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर टयूब्स, जब इनका भारत में आयात हुआ हो, के बारे में अनंतिम आकलन के लिए आदेश देना है, क्योंकि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस निर्यातक के मामले में ''न्यू शिप्पर रिव्यू'' शुरू किया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 26(अ) जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय रूस में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित पॉलिटेट्राफ्लोरेथिलीन (पीटीएफएफ) के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक 17 नवम्बर, 2010 सहित इस तिथि तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 853(अ) जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य से सेरामिक ग्लेज्ड टाइल्स के भारत में आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 854(अ) जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 15 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 62/2009-सी॰शु॰ को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 855(अ) जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 21 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 114/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 861(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय भारत में 3 मार्च, 2010 तक जिसमें यह तिथि भी शामिल है, आयात किए जाने वाले कॉस्टिक सोडा के आयात पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 50(अ) जो 28 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय आस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, रूस और थाईलैंड में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयात पर प्राधिकृत प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में अस्थाई प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तिथि अर्थात् 30 जुलाई, 2010 से पांच वर्षों की अवधि (जब तक रद्द, अधिक्रमित अथवा संशोधित न हो) के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 51(अ) जो 28 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 83/2009-सी॰शु॰ को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा॰का॰नि॰ 21(अ) जो 8 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित टायर क्योरिंग प्रोसेज पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 860(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 864(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 50/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 62(अ) जो 6 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित यूनिट से निकासी किए गए माल को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 856(अ) जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड 105 के उपखण्ड (ययख) में विनिर्दिष्ट 'व्यापार समनुषंगी सेवा' पर देय सेवा कर का निदेश दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2010 जो दिनांक 1 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/25/189240 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2009 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010 जो दिनांक 14 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/28/190983 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो दिनांक 8 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146 में प्रकाशित हुए थे।

(16) विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी विनिमय डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 895 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (संशोधन), विनियम, 2009 जो 1 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 851 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2009 जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3245(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 12 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 66(अ)में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 67(अ) जो दिनांक 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1246(अ) में कतिपय संशोधन किए गए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) (एक) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2941(अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

(23) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड), नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा-परीक्षित लेखे।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

(25) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2009 जो दिनांक 22 दिसंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 917(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3309(अ) जो 30 दिसंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो औषधियों के नमूनों का परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता में केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

(29) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2009-2010 का प्रतिवेदन संख्या पीए 27 के अध्याय नौ (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) के आधार पर नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिशेष भूमि और भवनों की बिक्री संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(2) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 की प्रतिवेदन संख्या 9 (वाणिज्यिक) के आधार पर 'भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन के कार्यनिष्पादन' संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

6. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 8 मार्च, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

7. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2009-2010

श्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 12 घंटे 31 मिनट

श्री इन्द्रजीत सिंह राव द्वारा 3 मार्च, 2010 को पेश किए गए तथा कुमारी मीनाक्षी नटराजन द्वारा अनुमोदित किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 22 फरवरी, 2010 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

डा. मुरली मनोहर जोशी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखें:—

1. श्री हरीश चौधरी
2. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
3. श्री समीर भुजबल
4. प्रो॰ शेख सैदुल हक
5. श्री जयंत चौधरी

डा॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।''

(लोक सभा अपराह्न 1.35 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत हुई)

*अपराह्न 3.30 बजे

9. प्रस्ताव

श्री प्रबोध पांडा ने निम्ललिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 4 मार्च, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*अपराह्न 2.45 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

10. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) डा॰ रामशंकर का इलाहाबाद उच्च न्यायालय (आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2009

(2) श्री योगी आदित्यनाथ का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)।

(3) श्री योगी आदित्यनाथ का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 25क का अंत:स्थापन)।

(4) श्री हंसराज गं॰ अहीर का वन उपज प्रबंध बोर्ड विधेयक, 2010

(5) श्री हंसराज गं॰ अहीर का कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2009

(6) श्री हंसराज गं॰ अहीर का वन (संरक्षक) संशोधन विधेयक, 2009 (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)

(7) श्री हंसराज गं॰ अहीर का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन)।

(8) श्री प्रबोध पांडा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 253 का संशोधन)।

(9) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' का उत्तराखण्ड राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010

(10) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुसूची का संशोधन)।

(11) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' का मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक, 2010

(12) श्रीमती सुमित्रा महाजन का निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 21 का संशोधन)।

(13) डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 243क का संशोधन)।

(14) श्री राजेन्द्र अग्रवाल का इलाहाबाद उच्च न्यायालय (मेरठ में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010

(15) श्री सतपाल महाराज का उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नरेन्द्रनगर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010

(16) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धाराओं 13कख, 13कग और 13कघ का अंत:स्थापन)।

(17) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक, 2010

(18) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का एक समान शिक्षा विधेयक, 2010

(19) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक, 2010

(20) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन)

(21) एडवोकेट पी॰टी॰ थॉमस का बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अध्याय चार क, का अंत:स्थापन, आदि)

(22) एडवोकेट पी॰टी॰ थॉमस का बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(23) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार का भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2010

(24) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2010

(25) श्री मनीष तिवारी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)

(26) श्री सतपाल महाराज का शैक्षिक संस्थाओं में योग का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2010

अपराह्न 3.47 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

श्री जय प्रकाश अग्रवाल का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने 4 दिसम्बर, 2009 को उनके द्वारा पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर अपना भाषण पूरा किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री महाबल मिश्रा
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री सी॰ शिवासामी
5. श्री अर्जुन राम मेघवाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 8 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—946LS(S5)—05-03-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 63

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के अवसर पर उल्लेख किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 143 के मौखिक उत्तर दिए गए। व्यवधान के कारण, सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई। तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 144—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1579—1808 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.21 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

(1) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 920(अ) जो 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 921(अ) जो 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास वेतन और भत्ता, अवकाश और पेंशन सार (संशोधन) नियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11)(एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोच्चि के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोच्चि के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी न्यूमैटिक टायर्स एण्ड ट्यूब्स फॉर ऑटोमोटिव वेहिकल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 जो 19 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2953(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3164(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 51(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1105 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) (एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(32) संविधान के अनुच्छेद 338(6) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबिलीटीज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबिलीटीज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैण्डिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैण्डिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मेन्टली हैण्डिकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मेन्टली हैण्डिकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. भारतीय नर्स परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से श्री बी॰ नारायणसामी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद् नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत

बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. तम्बाकू बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.05 बजे

8. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010

(दो) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामले, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई परियोजना के निमित कोष हेतु केन्द्रीय सरकार का शेयर जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री सर्वे सत्यनारायण द्वारा मल्काजगिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश के छावनी क्षेत्र में नागरिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री चार्ल्स डिएस द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा सारदा सरोवर परियोजना में ऊपरि पुल के निर्माण हेतु गुजरात सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान में रत्नागढ़ और सरदार शहर के बीच रेलवे लाईनों का आमान परिवर्तन कार्य एवं चुरु और नोहर वाया तारा नगर के बीच नई रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा हिम्मतनगर गुजरात के ग्रामीणों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए साबरकांठा-अहमदाबाद रेलवे लाईन, बक्तापुर गांव के नज़दीक रेलवे गेट सं॰ 93 सी को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान की खड़ी फसल को बचाने के लिए भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा आवंटित पानी का यथोचित हिस्सा रंजीतसागर बाँध से छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री तूफानी सरोज द्वारा यातायात के सुचारू परिचालन के लिए जौनपुर के जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में लेवल क्रॉसिंग पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा दिल्ली से खुर्जा के लिए एक महिला स्पेशल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल में पालाक्कड और कोझीकोड के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रबोध पांडा द्वारा हल्दिया-पारादीप अंतर-जलमार्ग खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

महिला और बाल विकास मंत्री ने "महिला सशक्तिकरण" के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.02 बजे

11. (एक) बजट (रेल)—2010-11; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2010-11; (तीन) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—2009-10; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2007-08

आवंटित समय	:	8 घंटे
लिया गया समय	:	01 मिनट
शेष समय	:	7 घंटे 59 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ संयुक्त चर्चा के लिए ली गईं:—

(एक) बजट (रेल)—2010-11 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2010-11 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(तीन) वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या 3 से 9, 11, 13, 15 और 16; तथा

(चार) वर्ष 2007-2008 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 12 और 15 ।

श्री हरिन पाठक*

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.01 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 9 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,

महासचिव।

*अध्यक्षपीठ द्वारा श्री हरिन पाठक का नाम पुकारा गया किन्तु सभा में व्यवधान के कारण वे अपना भाषण आरंभ नहीं कर सके।

GMGIPMRND—1008LS(S5)—08-03-2010.

दिनांक 05.03.2010 के समाचार—भाग 1 का शुद्धि पत्र

1. पृष्ठ 1, मद संख्या 3 में **1339** *के स्थान पर* **1349** पढ़ा जाए।

2. पृष्ठ 15, मद संख्या 10, क्रमांक 7,9, 11 में ''**2010**'' *के स्थान पर* ''**2009**'' पढ़ा जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 मार्च, 2010/18 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 64

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161, 162 और 163 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.37 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 165 का मौखिक उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 164 और 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1809—2038 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.40 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

मध्याह्न 12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2010-2011 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-I)।

(दो) वर्ष 2010-2011 के लिए गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-II)।

(5) वर्ष 2010-2011 के लिए गृह मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (ग्रामीण नियोजन शिकायत निवारण तंत्र) नियम, 2009 जो 28 अक्तूबर, 2009 के अंडमान और निकोबार प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या 149/09/एफ॰सं॰ 6-43/जीसी/नरेगा/2009(II)-पीआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत प्रशासन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 27 जनवरी, 2010 के अंडमान और निकोबार प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या 20/2010/एफ॰सं॰ 3-27/2008/पीआर(पीएफ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2010-2011 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा सुरक्षा बल (सामान्य ड्यूटी अधिकारी) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2009, जो 21 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती संशोधन नियम, 2009, जो 7 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 153 में प्रकाशित हुए थे।

(13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड, उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009, जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 845(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड, निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009, जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 935(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड, निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'क' कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2009, जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 28(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड, निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009, जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 844(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल संवर्ग, निरीक्षक (फार्मासिस्ट) भर्ती नियम, 2010, जो 15 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009, जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 913(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (सिविल) (2009-10 का संख्यांक 3) (स्वायत्तशासी निकाय)—भारत में महापत्तन न्यासों के कार्यकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2009, जो 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2009, जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 1993—1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 1993—1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) पादप किस्म और कृषक अधिकार की सुरक्षा अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पादप किस्म और कृषक अधिकार की सुरक्षा (तीसरा संशोधन) संशोधन नियम, 2009 जो 17 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 901(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग की भर्ती) विनियम, 2009 जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 869(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2010 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 33(अ)/आ॰व॰/गन्ना में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰ आ॰ 48(अ) जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स प्लांट ग्रो इंडस्ट्रीज, जोधपुर द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित उर्वरकों के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्टियों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰ आ॰ 47(अ) जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स पंजाब केमिकल्स एण्ड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, चंडीगढ़ द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित उर्वरकों के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्टियों को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का॰ आ॰ 30 (अ) जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित क्षेत्र तथा फसल के लिए विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्टियों को अधिसूचित किया गया है।

(छह) आवश्यक वस्तु आदेश, 2009 जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3267(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर (लाइसेंसिंग अपेक्षाएं, स्टॉक लिमिट और संचलन प्रतिबंधों) का हटाया जाना (सातवां संशोधन) आदेश, 2009 जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3249(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(35) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) वर्ष 2010-2011 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 198(अ) जो 28 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (चरैयाभाई-टेओक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने,

आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰ आ॰ 2718(अ) जो 29 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा–धुले खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰ आ॰ 2719(अ) जो 29 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पनवेल–इन्दापुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰ आ॰ 2983(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (कर्नाटक/गोवा बाउंड्री)से प्रस्तावित बेलगाम, खानपुर, गुंजी और रामनगर बाईपास के निर्माण (कंस्ट्रक्शन) के लिए भूमि के अर्जन के लिए सहायक आयुक्त, बेलगाम सब–डिवीजन, बेलगाम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2991(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 6(अ) जो 4 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर–गोमती चौराहा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड सोल्डर्स के साथ दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3159(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के उन्नयन (चौड़ा करने) प्रचालन और अनुरक्षण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का०आ० 3222(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हासन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का०आ० 3223(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबागल-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का०आ० 131(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहाट-डिब्रूगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 4(अ) जो 2 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (ढालेश्वरी-भैरबी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का०आ० 11(अ) जो 5 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-विरुधुनगर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 12(अ) जो 5 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची-तोवरन्कुरिची खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

GMGIPMRND—1008LS(S5)—08-03-2010.

(चौदह) का॰आ॰ 13(अ) जो 5 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (पूर्णिया–गोयरकाटा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्‌ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 3288(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सिल्क बोर्ड जंक्शन–होसूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्‌ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 3289(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (नासिराबाद–चित्तौड़गढ़ खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्‌ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 2898(अ) जो 16 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली–सीतापुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठारह) का॰आ॰ 3120(अ) जो 5 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली–आगरा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3254(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली–आगरा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2882(अ) जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा–भरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2899(अ) से का॰आ॰ 2902(अ) जो 16 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(42) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 17 दिसंबर, 2009 को हुई अपनी बैठक में वर्तमान में भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को संदेय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने और उस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए संसदीय समिति में राज्य सभा से छह सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किए जाने के संबंध में लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी सूचित किए जिन्हें उक्त समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है:—

1. श्री रामचन्द्र खूंटिया
2. श्री परवेज हाशमी
3. श्री श्रीगोपाल व्यास
4. श्री श्यामल चक्रवर्ती
5. श्री ए॰ इलावरासन
6. श्री रंजीत सिंह विजय सिंह मोहिते पाटील

4. नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री संदीप दीक्षित ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 331 के उप-नियम (1) के अधीन, नियम समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने ''प्रसार भारती में महिलाओं की कार्य दशा'' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड ने ''केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी॰बी॰आई॰) का कार्यकरण'' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही उत्तरों के बारे में समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. प्रस्ताव

श्री वी॰ नारायणसामी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 8 मार्च, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने ''जलवायु परिवर्तन'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामले जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी द्वारा आंन्ध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में छोटे तालाब और छोटी नदियों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा जस्टिस ऊषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या को क, ख, ग और घ समूह में श्रेणीबद्ध करने हेतु संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित खाद्य, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में सिंचाई की सुविधा में सुधार लाने के लिए जिले के मनुर टैंक का गाद निकालने तथा थमिराबरनी नदी के अतिरिक्त जल की दिशा परिवर्तित कर मनुर टैंक में प्रवाहित किए जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ निर्मल खत्री द्वारा फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में नई एलपीजी एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश के 'राजमाता विजया राजे सिंधिया विमानपत्तन' का आधुनिकीकरण किए जाने और आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राकेश सिंह द्वारा किसानों को अपने उत्पाद के लिए अच्छी लागत देना सुनिश्चित करने के लिए देश में कृषि उत्पाद हेतु ई–कामर्स को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलापूर्ति बढ़ाए जाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा ऐसे किसान, जिनकी भूमि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कौशांबी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हेतु अधिगृहित की जा रही है, के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भीष्मशंकर *उर्फ़* कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम्हरिया घाट के समीप घाघरा नदी पर एक स्थायी पुल बनाकर यातायात के सुचारू आवागमन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भूदेव चौधरी द्वारा बिहार के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिद्धवासरानी सिंचाई परियोजना के कार्य को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुचारू रंजन हल्दर द्वारा पश्चिम बंगाल के रानाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रानाघाट मिशन गेट रेलवे लेवल क्रॉसिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कर यातायात को सुचारू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा वस्त्र सेक्टर के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में किरतानिया, अस्तरंगा, इनचुड़ी, बहुदा मुहाना, चूड़ामनी में बनाए जाने वाले पत्तनों को हावड़ा-चेन्नई रेल मार्ग से रेल संपर्क प्रदान किए जाने तथा लुधियाना-दानकुनी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार हरिदासपुर तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰ कुमार द्वारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन स्कीम के अधीन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के शहर की सड़कों की मरम्मत किए जाने के अलावा फ्लाईओवर और अन्डरपास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी द्वारा कर्णाटक के मांडया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जोश के॰ मणि द्वारा विधिमान्य कार्य वीजा नहीं होने के कारण विदेश में फंसे भारतीय प्रवासी कर्मकारों को वित्तीय सहायता तथा राहत प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

10. (एक) बजट (रेल)—2010-11; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2010-11; (तीन) अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)—2009-10; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2007-08

लिया गया समय: 20 मिनट

08.03.2010 को ली गई कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं और उन पर आगे संयुक्त चर्चा, जारी रही:—

(एक) बजट (रेल)—2010-11 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2010-11 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(तीन) वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3 से 9, 11, 13, 15 और 16; तथा

(चार) वर्ष 2007-08 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 12 और 15।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

*1. श्री हरिन पाठक
2. श्री हर्ष वर्धन
3. श्री तूफानी सरोज
4. श्री राम सिंह कस्वां
5. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी
6. श्री शिवराज सिंह लोदी
7. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव
8. श्रीमती मीना सिंह
9. श्री शैलेन्द्र कुमार
10. श्री महाबल मिश्रा
11. श्री हंसराज गं॰ अहीर
12. श्री पी॰ कुमार
13. श्री घनश्याम अनुरागी
14. श्री एस॰ सेम्मलई
15. श्री श्रीपाद यसो नाईक
16. श्री सी॰ शिवासामी

*उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया और अपने लिखित भाषण के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

17. श्री जय प्रकाश अग्रवाल
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री जोस के॰ मणि
20. श्री देवेन्द्र नागपाल
21. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
22. श्री ध्रुव नारायण रंगास्वामी
23. श्री जगदम्बिका पाल
24. श्री भीष्मशंकर *उर्फ़* कुशल तिवारी
25. श्री रामकिशुन
26. श्री जगदीश ठाकोर
27. श्रीमती समित्रा महाजन
28. श्री ए॰ गणेशमूर्ति
29. श्री एस॰आर॰ जेयदुरई
30. श्री पी॰ लिंगम
31. श्रीमती सुप्रिया सुले
32. श्री माणिकराव होडल्या गावित
33. श्री इज्यराज सिंह
34. श्री के॰डी॰ देशमुख
35. श्री पकौड़ी लाल
36. श्रीमती अन्नु टन्डन
37. श्री रतन सिंह
38. श्री भर्तृहरि महताब
39. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल
40. श्री वीरेन्द्र कश्यप
41. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल
42. डा॰ (श्रीमती) झांसी बोचा लक्ष्मी

43. श्रीमती सुशीला सरोज
44. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
45. श्री राकेश सचान
46. श्री रुद्रमाधव राय
47. श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा
48. श्रीमती उषा वर्मा
49. श्री अर्जुन चरण सेठी
50. श्री योगी आदित्यनाथ
51. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
52. डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
53. श्री पी॰ करुणाकरन
54. श्रीमती रमा देवी
55. श्री राधा मोहन सिंह
56. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
57. डा॰ महेन्द्र सिंह पृथ्वीसिंह चौहान
58. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
59. श्री कमलेश पासवान
60. श्री के॰ *उर्फ़* जे॰के॰ रितीश शिवकुमार
61. श्री दारा सिंह चौहान
62. श्रीमती दर्शना जरदोश
63. श्री प्रेम चन्द गुड्डु
64. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
65. श्री अशोक कुमार रावत
66. श्रीमती रानी नरह
67. श्री राकेश सिंह
68. श्री मिथलेश कुमार
69. श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल
70. श्री शिवराम गौड़ा

71. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर

72. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी

73. श्री हरिभाऊ माधव जावले

74. श्री जे॰एम॰ राशिद आरुन

75. डा॰ वीरेन्द्र कुमार

76. श्री नारनभाई कछाड़िया

77. डा॰ निर्मल खत्री

78. डा॰ प्रभा किशोर तावियाड

79. श्री अर्जुन राम मेघवाल

80. एडवोकेट पी॰टी॰ थॉमस

81. श्री समीर मगन भुजबल

82. श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा'

कुमारी ममता बनर्जी ने वाद-विवाद के उत्तर के रूप में अपना भाषण सभा पटल पर रखा।

वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग सं॰ 1 से 16 की लेखानुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 3 से 9, 11, 13, 15 और 16 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2007-08 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांग संख्या 12 और 15 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010

12. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2010

14. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2010

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 4.20 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1065LS(S5)—09.03.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 मार्च, 2010/19 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 65

पूर्वाह्न 11 बजे

प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 182—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2039—2268 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1095LS(S5)—10.03.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 मार्च, 2010/20 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 66

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री शरद यादव
3. श्री लालू प्रसाद

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.35 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 202—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2269—2494 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2010-2011 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2010-2011 के लिए इस्पात मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा मध्याह्न 12.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

श्री प्रणव मुखर्जी ने संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.02 बजे

(3) वर्ष 2010-2011 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2010-2011 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2010-2011 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2010-2011 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2010-2011 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2010-2011 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2010-2011 के लिए विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वर्ष 2010-2011 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) वर्ष 2010-2011 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वर्ष 2010-2011 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी 53वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वर्ष 2010-2011 के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) वर्ष 2010-2011 के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3303(अ) जो 29 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 190(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 3317(अ) जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 671(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 287(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(25) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2010 जो 1 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 5 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 61(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(26) वर्ष 2010-2011 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) वर्ष 2010-2011 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) वर्ष 2010-2011 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) वर्ष 2010-2011 के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) वर्ष 2010-2011 के लिए भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3238(अ) जो 16 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबी मौसम 2009-2010 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा यूरिया की की जाने वाली आपूर्ति दर्शाई गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) औरोविल फाउंडेशन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

GMGIPMRND—1008LS(S5)—08-03-2010.

(69) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दुर्गापर, दुर्गापुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दुर्गापर, दुर्गापुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2010 जो 22 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 96(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 293 (अ) जो 9 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न के उपापन में व्यवधान को रोकने के लिए

रबी विपणन मौसम 2010-11 के दौरान खाद्यान्न के पैकेज के लिए 2.71 लाख गांठ की कुल मात्रा की सीमा तक राज्य सरकार, उनकी उपापन एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम को 22 सितम्बर, 2009 के मूल आदेश का॰आ॰ 2409(अ) के कार्यान्वयन से छूट प्रदान की गई है।

(दो) का॰आ॰ 3290 (अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न के उपापन में व्यवधान को रोकने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2009-10 तथा रबी विपणन मौसम 2011 के दौरान 3.80 लाख गांठ की कुल मात्रा की सीमा तक राज्य सरकार, उनकी उपापन एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम को 22 सितम्बर, 2009 के मूल आदेश का॰आ॰ 2409(अ) के कार्यान्वयन से छूट प्रदान की गई है।

(तीन) का॰आ॰ 259(अ) जो 4 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित वस्तुओं को, जूट वर्ष 2009-10 के दौरान पृथक-पृथक उत्पादन इकाइयों द्वारा चीनी के कुल उत्पादन के 10% तक को 22 सितम्बर, 2009 के मूल आदेश सं॰ का॰आ॰ 2409(अ) के प्रचालन से छूट प्रदान किए जाने का निदेश दिया गया है।

(75) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2010-11 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2010-11 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) कृषि मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. 55वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन

महासचिव ने 28 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 2009 तक अरुषा, तंजानिया में आयोजित 55वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने लोक लेखा समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन" के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित "राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु सहायक पोषाहार कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)" के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

(3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित ''पनडुब्बियों की खरीद में विक्रेताओं को अनुचित लाभ'' के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति प्रस्तुत की:—

(1) ''गैस और पेट्रोल एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश और नियोजन में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण'' के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ''दक्षिण-पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार'' के बारे में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'विमानन अवसंरचना' के बारे में श्री सुभाष वानखेड़े और डा॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 10 के 19 नवम्बर, 2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'ऑटोमोटिव मिशन प्लान' के बारे में श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी और श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 410 के 17 दिसम्बर, 2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

9. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

10. अध्यादेश के बारे में विवरण

विधि और न्याय मंत्री ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.09 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा देश में कृषि क्षेत्र के समक्ष समस्याओं का समाधान करने और कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमति श्रुति चौधरी द्वारा भिवानी–महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में चौकीदार वाले रेल क्रॉसिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा रेलवे स्टेशनों पर भोजन बिक्री केन्द्रों को चलाने वाली बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लाइसेंस शुल्क वसूले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हर्ष वर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में गंडक नहर से गाद निकालने और उसके नवीकरण के लिए स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री महाबल मिश्रा द्वारा पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर पैदलयात्री पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने और गुजरात में सभी हवाई अड्डों को जोड़ने के अलावा अमरेली और अहमदाबाद में नए घरेलू हवाई अड्डों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा उन किसानों जिनकी भूमि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा चन्द्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में कोयला खनन के लिए अर्जित की जा रही है, को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रमेन डेका द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के जल का सिंचाई जलमार्गों और पनबिजली के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री पकौड़ी लाल द्वारा सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश कन्हार सिंचाई परियोजना के लिए निधियों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संडीला में कताई मिल पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पूर्णमासी राम द्वारा गंडक नदी द्वारा अपरदन और क्षति के खतरे का सामना कर रहे बिहार के गोपालगंज जिले में रिंग डैम को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल में बालुरघाट से उड़ान सेवाएँ पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.10 बजे

12. बजट (सामान्य) — 2010-2011

आबंटित समय	:	12 घंटे
लिया गया समय	:	4 घंटे 20 मिनट
शेष	:	7 घंटे 40 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदों पर एक साथ चर्चा की गई—

(एक) वर्ष 2010-2011 के बजट (सामान्य) पर चर्चा।

(दो) मांग संख्या 1 से 33, 35 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105 के संबंध में वर्ष 2010-2011 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)।

(तीन) वर्ष 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 4, 7, 9, 11 से 17, 19 से 21, 23 से 25, 28 से 33, 35, 39 से 41, 43 से 47, 49, 51, 53 से 55, 57 से 60, 65, 67, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 92, 93, 95 से 101, 103 से 105

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. डा॰ के॰ सांबासिवा राव
3. श्री बृजभूषण शरण सिंह
4. डा॰ बलीराम
5. श्री पी॰ करुणाकरन
6. श्री भर्तृहरि महताब

*7. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ

*8. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*9. श्री नारायण सिंह अमलाबे

*10. श्री दत्ता मेघे

*11. श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*12. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल

13. श्री आनंदराव अडसुल

*14. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद

*15. श्री घनश्याम अनुरागी

*16. श्री पी॰ कुमार

17. श्री लालजी टन्डन

*18. श्री सी॰ सिवासामी

*19. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

20. डा॰ (कुमारी) गिरिजा व्यास

*21. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा

22. श्री नरहरि महतो

23. श्री मोहम्मद ई॰टी॰ बशीर

24. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

25. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

*26. श्री राकेश सचान

27. श्री निशिकांत दुबे (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

#सायं 6.52 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 6.30 बजे से सायं 6.52 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1138LS(S5)—11.03.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 मार्च, 2010/21 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 67

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी लोक सभा के सदस्य श्री नानाजी देशमुख के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 225—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2495—2724 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2010-2011 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2010-2011 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2010-2011 के लिए वित्त मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2010-2011 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2010-2011 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2010-2011 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2010-2011 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2010-2011 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12)(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2010-2011 के लिए आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वर्ष 2010-2011 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) वर्ष 2010-2011 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति।

(दो) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति।

(तीन) अंतरिक्ष विभाग के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति।

(चार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति।

(पांच) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति।

(छह) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति।

(सात) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति।

(आठ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति।

(नौ) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति।

(दस) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति।

(19) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2010, जो 6 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 12(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 57(अ) जो 3 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 7 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 727(अ) में अंतर्विष्ट किया गया।

(20) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) महिला और बाल विकास मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या पैंतीस — आठवां सत्र, 1987

नौवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या पचास — दूसरा सत्र, 1990

दसवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या छियालीस — चौथा सत्र, 1992
4. विवरण संख्या इकतीस — पंद्रहवां सत्र, 1995
5. विवरण संख्या चौबीस — सोलहवां सत्र, 1996

ग्यारहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या अड़तीस — तीसरा सत्र, 1996

तेरहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या तैंतालीस — दूसरा सत्र, 1999
8. विवरण संख्या अड़तालीस — तीसरा सत्र, 2000
9. विवरण संख्या अट्ठाईस — पांचवां सत्र, 2000
10. विवरण संख्या चौंतीस — नौवां सत्र, 2002
11. विवरण संख्या इकतीस — दसवां सत्र, 2002
12. विवरण संख्या सत्ताईस — ग्यारहवां सत्र, 2002
13. विवरण संख्या अट्ठाईस — बारहवां सत्र, 2003
14. विवरण संख्या पच्चीस — तेरहवां सत्र, 2003
15. विवरण संख्या चौबीस — चौदहवां सत्र, 2004

चौदहवीं लोक सभा

16.	विवरण संख्या इक्कीस	दूसरा सत्र, 2004
17.	विवरण संख्या उन्नीस	तीसरा सत्र, 2004
18.	विवरण संख्या उन्नीस	चौथा सत्र, 2005
19.	विवरण संख्या सत्रह	पांचवां सत्र, 2005
20.	विवरण संख्या सोलह	छठा सत्र, 2005
21.	विवरण संख्या पन्द्रह	सातवां सत्र, 2006
22.	विवरण संख्या तेरह	आठवां सत्र, 2006
23.	विवरण संख्या बारह	नौवां सत्र, 2006
24.	विवरण संख्या ग्यारह	दसवां सत्र, 2007
25.	विवरण संख्या नौ	ग्यारहवां सत्र, 2007
26.	विवरण संख्या आठ	बारहवां सत्र, 2007
27.	विवरण संख्या छह	तेरहवां सत्र, 2008
28.	विवरण संख्या चार	चौदहवां सत्र, 2008
29.	विवरण संख्या तीन	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

30.	विवरण संख्या दो	दूसरा सत्र, 2009
31.	विवरण संख्या एक	तीसरा सत्र, 2009

(27) योजना मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) योजना आयोग के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) भारत में आवास के रुझान और प्रगति 2006 के बारे में रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत 'डा॰ राजेन्द्र प्रसाद की 125वीं जन्मशती' के अवसर पर 100 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की ढलाई नियम, 2010, जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षण और हानि मूल्यांकक के लाइसेंसीकरण का विनियमन, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता का विनियमन, 2000) जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ आईआरडीए/अधिसूचना/2/49/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षण और हानि मूल्यांकक के लाइसेंसीकरण का विनियमन, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता का विनियमन, 2000) जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ आईआरडीए/अधिसूचना/2/50/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(33) धन शोधन निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) धन शोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकारी को सामग्री सहित संपत्ति की अनंतिम जब्ती के आदेश की प्रति और सर्वेक्षण के संबंध में सामग्री सहित कारणों की प्रति को अग्रेषित करने की विधि व उसको अवरुद्ध करने की अवधि) संशोधन नियम, 2009 जो 7 जनवरी, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 18(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (फार्म, तलाशी एवं जब्ती तथा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को कारण व सामग्री अग्रेषित करने की विधि एवं अभिलेख का रख-रखाव एवं अवरुद्ध करने की अवधि) संशोधन नियम, 2009 जो 7 जनवरी, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 19(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन शोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकारी को सामग्री सहित जब्त संपत्ति की अवरुद्ध करने के आदेश की प्रति अग्रेषित करने की विधि एवं

अवरुद्ध करने की अवधि) संशोधन नियम, 2009 जो 7 जनवरी, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 20(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) धन शोधन निवारण (संव्यवहार की प्रकृति एवं मूल्य के अभिलेख का रख-रखाव, कार्य पद्धति एवं रख-रखाव की विधि तथा सूचना देने का समय, जांच तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं एवं मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान के रिकार्ड की जांच एवं रख-रखाव) संशोधन नियम, 2010 जो 12 फरवरी, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) वित्तीय आसूचना एकक-भारत वित्त मंत्रालय, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (समूह 'क') भर्ती नियम, 2010 जो 13 जनवरी, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) वित्तीय आसूचना एकक-भारत, वित्त मंत्रालय, अपर निदेशक (समूह'क') भर्ती नियम, 2010 जो 13 जनवरी, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 30(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(34) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-1/2010-एमएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(42) उपर्युक्त मद संख्या (41) के (क) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अपलाय्ड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अपलाय्ड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैण्डिकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैण्डिकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(52) अधिसूचना संख्या-33/2010-सीमा-शुल्क जो 12 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत (क) स्किम्ड मिल्क पाउडर, किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे माल के कुल आयात के सकल तीस हजार मीट्रिक टन तक; और (ख) व्हाइट बटर, बटर आयल, एनहाइड्रस़ मिल्क फैट, किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे माल के कुल आयात के सकल पन्द्रह हजार मीट्रिक टन तक मूल सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 9 मार्च, 2010 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008

---

*अपराह्न 1.34 बजे

7. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड — पूर्ववर्ती एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की विलयित कंपनी के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2009-10) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय न्याय (संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

(3) ''कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह'' विषय पर 78वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.07 बजे

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और पर्यटन मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित 'शहरी आवास' के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) **''कर्नाटक में ताप विद्युत और पवन ऊर्जा संयंत्र''** के बारे में श्री अदगुरु विश्वनाथ, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3589 के संबंध में 11.12.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने; तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.15 बजे

10. बजट (सामान्य) — 2010-2011

लिया गया समय: 10 घंटे 01 मिनट

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.14 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित कार्य की मदों पर आगे चर्चा जारी रही:

(एक) वर्ष 2010-2011 के बजट (सामान्य) पर चर्चा।

(दो) मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105 के संबंध में वर्ष 2010-2011 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

(तीन) वर्ष 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 4, 7, 9, 11 से 17, 19 से 21, 23 से 25, 28 से 33, 35, 39 से 41, 43 से 47, 49, 51, 53 से 55, 57 से 60, 65, 67, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 92, 93, 95 से 101, 103 से 105

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे (भाषण पुन: आरंभ किया)
*2. श्री विजय बहादुर सिंह
*3. श्रीमती दर्शना जरदोश
*4. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव
*5. श्री सतपाल महाराज
*6. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*7. डा॰ रत्ना डे (नाग)
*8. श्री प्रहलाद जोशी
*9. डा॰ वीरेन्द्र कुमार
*10. श्री टी॰ आर॰ बालू
*11. श्री मनीष तिवारी
*12. डा॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
*13. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
*14. श्री प्रबोध पांडा
*15. श्री जोस के॰ मणि
*16. श्री नारनभाई कछाड़िया
*17. श्री वीरेन्द्र कश्यप
18. श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी
19. श्रीमती ज्योति धुर्वे

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

20. श्री एम॰ आई॰ शानवास
21. श्री मंगनी लाल मंडल
*22. श्री रामसिंह राठवा
23. श्री शैलेन्द्र कुमार
*24. श्री पी॰ लिंगम
*25. श्री हरिभाऊ जावले
*26. श्री प्रेमदास
*27. श्री राम सिंह कस्वां
28. श्री कल्याण बनर्जी
*29. श्री रतन सिंह
*30. श्रीमती उषा वर्मा
*31. श्रीमती सुशीला सरोज
*32. श्री अर्जुन राम मेघवाल
33. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
*34. श्री तूफानी सरोज
35. श्री दारा सिंह चौहान
*36. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
*37. डॉ॰ जी॰ विवेकानन्द
*38. श्री के॰डी॰ देशमुख
39. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
40. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
*41. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी
*42. श्री महाबल मिश्रा
43. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
*44. श्री किसनभाई वी॰ पटेल
*45. श्री गणेश सिंह
46. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग
47. श्री हसन खान
*48. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

49. डा॰ तरुण मंडल
50. श्री विष्णु पद राय
51. डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणा
*52. श्री कमल किशोर
*53. श्री पन्ना लाल पुनिया
*54. श्री पी॰टी॰ थॉमस
55. श्री प्रेम दास राय
56. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल
*57. डॉ॰ प्रभा किशोर ताविआड
*58. श्री सर्वे सत्यनारायण
*59. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी
*60. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू
*61. श्री बदरूद्दीन अजमल
*62. श्री विजय बहुगुणा
*63. श्री जगदीश ठाकोर

श्री प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105 वर्ष 2010-2011 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 7, 9, 11 से 17, 19 से 21, 23 से 25, 28 से 33, 35, 39 से 41, 43 से 47, 49, 51, 53 से 55, 57 से 60, 65, 67, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 92, 93, 95 से 101, 103 से 105 वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

12. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

13. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग विधेयक, 2010

14. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सांय 5.56 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 15 *मार्च,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1168LS(S5)—12.03.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 मार्च, 2010/24 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 68

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—244 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 245—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2725—2954 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2010-11 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2010-11 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2010–11 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2010–11 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2010–11 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 85(अ) जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 428(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

(11) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2010–11 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2010–11 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) कैपेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैपेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) कैमेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वर्ष 2010-11 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) वर्ष 2010-11 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) वर्ष 2010-11 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) वर्ष 2010-11 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(34) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(35) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटीज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसैबलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) वर्ष 2010-2011 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) वर्ष 2010-2011 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2010 को पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2010 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2010 को पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित देश में विमानपत्तनों, पत्तनों, आईसीडी, एलसीएस आदि तथा निर्यात उत्कृष्टता वाले नगरों में निर्यात अवसंरचना के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 91वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ''कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यकरण — पेंशन योजना'' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.05 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010

(दो) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(तीन) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 2.21 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का डॉ॰ के॰आर॰ नारायणन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में पुन: नामकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय की धनराशि बढ़ाए जाने और उनको राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री निनोंग ईरींग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को सीमेंट परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे रैक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा कपूरथला, पंजाब में फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर अमृतसर–हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस के लिए एक हाल्ट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में नकली दवाओं की बिक्री रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राकेश सिंह द्वारा खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री पशुपतिनाथ सिंह द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद, झारखंड को इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरिन पाठक द्वारा उत्तराखण्ड के हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय, एक मानित विश्वविद्यालय, की मान्यता रद्द किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 2.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(10) श्री रामकिशुन द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा पश्चिम चम्पारण, बिहार से होकर गुजरने वाली नदियों में बाढ़ नियंत्रण के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में एनएच-31सी पर सिलीगुड़ी के निकट सेवोक में तिस्ता नदी पर बने कोरोनेशन ब्रिज के स्थान पर एक वैकल्पिक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री वैजयंत जे॰ पांडा द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पी॰ लिंगम द्वारा तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में राजापालायम शहर में लेवल क्रासिंग संख्या 449 पर एक रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.22 बजे

***8. सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया**

लिया गया समय: 2 घंटे 53 मिनट

श्री रमेश बैस ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2010 को प्रख्यापित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे पैरा 9 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

***9. सरकारी विधेयक—पारित**

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

श्री एम॰ वीरप्पा मोहली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 8) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. प्रो॰ शेख सैदुल हक

---

*एक साथ चर्चा की गई।

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री अर्जुन चरण सेठी
5. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री प्रबोध पांडा
8. श्री अर्जुन राम मेघवाल
9. श्री शरीफुद्दीन शारिक
10. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली
11. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री अनंत गंगाराम गीते
14. श्री पी॰सी॰ चाको
15. श्री कल्याण बनर्जी
16. डॉ॰ (कु॰) गिरिजा व्यास

@17. श्री पन्ना लाल पुनिया

श्री एम॰ वीरप्पा मोहली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

@लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सायं 5.16 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आबंटित समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 44 मिनट
शेष समय : 2 घंटे 16 मिनट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009

श्री जयराम रमेश ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार हेगड़े
2. श्री संदीप दीक्षित (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

*सायं 6.31 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 16 *मार्च,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 6.05 बजे

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1250LS(S5)—15.03.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 मार्च, 2010/25 फाल्गुन, 1931 (शक)

संख्या 69

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2955—3184 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2010-11 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) खान मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अधीन अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 932(अ) जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च के माध्यम से पूर्वेक्षण करने अथवा खनन कार्य आरक्षित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अधीन खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 883(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वर्ष 2010–2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2010–2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2010–2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) नागर विमानन मंत्रालय के वर्ष 2010–0211 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कोयला मंत्रालय के वर्ष 2010–2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2010–2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के वर्ष 2010–2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एन्ट्रेप्रिनियोरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एन्ट्रेप्रिनियोरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2010–2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अधीन पशुओं की ढुलाई (संशोधन) नियम, 2009 जो 29 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2465(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनियम, 2009 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह 'क' पद जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी-12015/33(34)/को-ऑर्डि/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) पर्यावरण और वन मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के लेखा वर्ष के समापन के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) निजी सुरक्षा (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2010 जो 25 जनवरी, 2010 के अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 19/2010/एफ० सं० 45-230/2005-गृह में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) संस्कृति मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) अधिसूचना संख्या एमयू/2-2/2006 जो 5 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की संविधियों में उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अधीन सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बेटाइज्ड (जनरल ड्यूटी) अधिकारी भर्ती संशोधन

नियम, 2009 जो 8 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) वित्त मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के फ्लैगशिप कार्यक्रम के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत 'भारतीय रिजर्व बैंक की प्लेटिनम जुबली' के अवसर पर 75 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की ढलाई नियम, 2010, जो 25 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 100(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) संशोधन विनियम, 2010 जो 9 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 66(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो संशोधन नियम, 2009 जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 938(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(49) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 25(अ) जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा चीनी और खांडसारी के डीलरों पर स्टॉकधारिता तथा करोबार की सीमा निर्धारित की गई है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 60(अ) जो 5 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा चीनी के बड़े उपभोक्ताओं पर स्टॉकधारिता की सीमा घटाई गई है।

(50) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 119(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 3119(अ) जो 5 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 3020(अ) जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 3261(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 3037(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 180(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 864(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 223(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3259(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 3175(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबाड़ी-बिजनी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 422(अ) जो 18 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 (डबोका-लंका खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 199(अ) जो 28 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (सीपोन-लाहोवल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3134(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3176(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (अमृतसर-वाघा सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 3140(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का० आ० 3191(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (अमृतसर-वाघा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 3198(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 123(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 16(अ) जो 6 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 3009(अ) और का० आ० 3010(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 3035(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 2882(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन

वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का॰ आ॰ 3291(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेइस) का॰ आ॰ 3102(अ) और का॰ आ॰ 3103(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का॰ आ॰ 3145(अ) और का॰ आ॰ 3146(अ) जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰ आ॰ 79(अ) जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰ आ॰ 80(अ) जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 23 नवम्बर, 2009 के अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2974(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰ आ॰ 169(अ) जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 8 फरवरी, 2005 के अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 179(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का॰ आ॰ 182(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 8 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 865(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰ आ॰ 3225(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली-अम्बाला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰ आ॰ 3255(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) का॰ आ॰ 3256(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का॰ आ॰ 3258(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का॰ आ॰ 3260(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰ आ॰ 2736(अ) जो 30 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-झालावाड़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का॰ आ॰ 58(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 62(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर–चितौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 3224(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर–अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 3234(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क, 79 और 76 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 3131(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर–चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 59(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर–रीन्गुस खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 134(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धोलपुर–मुरैना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 56(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेतालीस) का॰आ॰ 73(अ) जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2825(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चवालीस) का॰आ॰ 72(अ) जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2811(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 3090(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (बार-बिलारा-जोधपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(छियालीस) का॰आ॰ 3008(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसार खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 138(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 3112(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसार खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 3043(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ–जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 3002(अ) और का॰आ॰ 3003(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 3005(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पाली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 3004(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (ब्यावाड़ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरेपन) का॰आ॰ 3224(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला कलेक्टर, सीकर को प्राधिकृत किया गया है।

(चौवन) का॰आ॰ 3141(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत–दहीसार खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 3000(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव–कोटपुतली–जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला

बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 3293(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद–वडोदरा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 2993(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली–कोटा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठावन) का॰आ॰ 2811(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर–कोटपुतली–गुड़गांव खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 2989(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(साठ) का॰आ॰ 3091(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर–अम्बाला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(इकसठ) का॰आ॰ 121(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2812(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(बासठ) का॰आ॰ 3011(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 3006(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाडा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 3029(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 3027(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 3034(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2260(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का॰आ॰ 3028(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 के अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 852(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का॰आ॰ 3041(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नुर-कुट्टीपुरम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 3052(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कदपा-कुरनूल

खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 3061(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिल्कालुरीपेट–रूद्रकोटा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तर) का॰आ॰ 3060(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (रूद्रकोटा–नेल्लोर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 3170(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद–यादगिरि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 3178(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद–यादगिरि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 313(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3056(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 3244(अ) जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 19 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 785(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 274(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु/केरल सीमा (वायालार) से त्रिसूर खंड] के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 250(अ) और का॰आ॰ 251(अ) जो 3 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 89(अ) से का॰आ॰ 91(अ) जो 15 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर-कुट्टीपुरम खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नासी) का॰आ॰ 3117(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 3152(अ) और का॰आ॰ 3153(अ) जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुट्टीपुरम-इदापल्ली खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 3147(अ)जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेरथालाई-ओचिरा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 3148(अ)जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (ओचिरा-तिरुवनंतपुरम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 3167(अ)जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47

(कन्नुर–कुट्टीपुरम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 3292(अ)जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेरथालाई–तिरुवनंतपुरम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 3055(अ)जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुट्टीपुरम–इदापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 2984(अ)जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बीजापुर–हन्गन्ड खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 2985(अ)जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (हन्गन्ड–हासपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 2995(अ)जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 3049(अ)जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्रबंधन (तकनीकी), एनएचएआई, पीआईयू, धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(नब्बे) का॰आ॰ 3048(अ)जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क के निर्माण

(चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 2976(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 2986(अ) और 2987(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 2994(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, मदुरै को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चौरानवे) का॰आ॰ 3226(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76, 79 और 79क के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पंचानवे) का॰आ॰ 3026(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 3051(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन

वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 3133(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 111(अ) जो 19 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावन्डी-कुम्बकोन्नम-तंजावुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 3030(अ) और का॰आ॰ 3031(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2573(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सौ) का॰आ॰ 3032(अ) और का॰आ॰ 3033(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2574(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 1698(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (बाईपास सहित) (सलेम-उलुन्दुरपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 1708(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार-छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 1709(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बाईपास के निर्माण सहित) (बंगलोर-सेलम-मदुरै खण्ड) (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 1714(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरै खण्ड) से (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पांच) का॰आ॰ 1715(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छह) का॰आ॰ 1813(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(एक सौ सात) का॰आ॰ 1831(अ) और का॰आ॰ 1832(अ) जो 27 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ आठ) का॰आ॰ 2731(अ) और का॰आ॰ 2732(अ) जो 30 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 के चैन्नई बाईपास (फेज-II) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ नौ) का॰आ॰ 2790(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5

(मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दस) का॰आ॰ 2120(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 743(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(55) उपर्युक्त (54) की मद संख्या (एक सौ एक) से (एक सौ दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(56) वर्ष 2010-11 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राष्ट्रपति का संदेश

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें माननीय राष्ट्रपति का दिनांक 11 मार्च, 2010 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

"22 फरवरी, 2010 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों के द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं।"

5. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) बरेली, उत्तर प्रदेश में आईओसीएल द्वारा रक्षा कोटा के अंतर्गत पेट्रोल पम्प के आबंटन में विलंब; इटावा, जिला सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में आईओसीएल की डीलरशिप दिए जाने में अनियमितताएं; और गन्नौर रेलवे रोड़, सोनीपत, हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प के आबंटन में विलम्ब के बारे में अभ्यावेदनों संबंधी 45वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(दो) एचएएल, नासिक डिवीजन द्वारा नियोजित नैमित्तिक कामगारों की मांगों के बारे में याचिका के संबंध में क्रमश: 46वें और 48वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में

---

*अपराह्न 2.00 बजे

अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा केन्द्रीय भांडागारण निगम की विज्ञापन नीति के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि के बारे में अभ्यावेदन संबंधी 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(तीन) गोवा में दाबोलिम हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में अभ्यावेदन संबंधी सैंतालीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों और भागलपुर के 1989 के दंगा पीड़ितों को राहत के बारे में अभ्यावेदन संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(चार) भारतीय रेल द्वारा रेलों की खरीद की प्रणाली के बारे में अभ्यावेदन संबंधी अड़तीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों और पेट्रोल/डीजल पम्पों के आबंटन में तेल कंपनियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जौनपुर, उत्तर प्रदेश के श्री राजेन्द्र सिंह यादव के अभ्यावेदन संबंधी बयालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

खान मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 15 मार्च, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.08 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर: स्थापित

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 1.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु में डिंडीगुल-पलानी खण्ड पर आमान परिवर्तन के कार्य के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा राइफल का गठन करने और उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे ''बीरा सुरेन्द्र साई राइफल'' का नाम दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा गुजरात में पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को नर्मदा परियोजना के लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री महाबल मिश्रा द्वारा दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन का एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात में जादेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक चार लेन वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत गुजरात में गांधी नगर और करमसाड शहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में डाक सेवा मानकों के अनुसार ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार करने और विभागेत्तर सब-पोस्ट आफिस का दर्जा बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(9) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा महाराष्ट्र के चन्द्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिलों में घटते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में मकनपुर को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र में बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पूअर (बीएसयूपी) और इंटीग्रेटिड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अनुदान हेतु लागत में वृद्धि पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 1.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन:समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.00 बजे

11. सरकारी विधेयक —विचाराधीन

आबंटित समय	:	3 घंटे
लिया गया समय	:	54 मिनट
शेष	:	2 घंटे 6 मिनट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009

श्री जयराम रमेश द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2010 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री संदीप दीक्षित ने अपना भाषण पुन: आरम्भ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(*सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।*)

अपराह्न 2.11 बजे

(लोक सभा सोमवार, 12 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1275LS(S5)—16.03.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 15 अप्रैल, 2010/25 चैत्र, 1932 (शक)

संख्या 70

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पोलैण्ड के राष्ट्रपति, श्री लेक कैजिंस्की, मैडम मारिया कैजिंस्का और पोलैण्ड के अन्य अधिकारियों की 10 अप्रैल, 2010 को हुई वायुयान दुर्घटना में दुखद मृत्यु का उल्लेख किया।

उन्होंने आगे सातवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री शिवशरण वर्मा; बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री पी॰ राजारेथीनम; आठवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती सुंदरवती नवल प्रभाकर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में एक माओवादी हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 75 अर्द्धसैनिक बलों तथा एक राज्य पुलिस अधिकारी के निधन तथा 4 अप्रैल, 2010 को उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक अन्य नक्सली हमले में विशेष ऑपरेशन समूह के 11 सुरक्षाकर्मियों के निधन के बारे में भी उल्लेख किया। इसके अलावा, उन्होंने असम, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 14 अप्रैल, 2010 को तूफान के कारण मारे गए 120 व्यक्तियों तथा भगदड़ की एक अन्य घटना में मारे गए 7 व्यक्तियों और 14 अप्रैल, 2010 को हरिद्वार में डूबने वाले दो अन्य व्यक्तियों का उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.14 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

2. प्रश्न

निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 281-300 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3185-3414 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय कबड्डी टीम को 11 अप्रैल, 2010 को लुधियाना में पाकिस्तान को पराजित कर कबड्डी विश्व कप 2010 जीतने पर बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 2009 जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 99 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी॰आर॰ बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें—2009-10' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें—2010-11' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक,* 2010

(दो) *नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक,* 2010

अपराह्न 12.05 बजे

8. नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री यशवंत सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कार्मिकों पर हाल ही में हुए माओवादी हमले पर चर्चा उठाई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.32 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 1.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 1.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आंध्र प्रदेश के जहीराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चमराजनगर जिले में हनुर में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा देश में खराब गुणवत्ता वाले बीज, नकली कीटनाशक और उर्वरकों की बिक्री में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान करने वाले विधान को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सिरिसिल्ला राजैया द्वारा आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत नि:स्राव परिमार्जन संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा और सतना में तालाबों के विकास और संरक्षण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री मिथिलेश कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आग के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पी॰ करुणाकरण द्वारा देश में वैक्सिनों की कमी पर काबू पाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान के प्रचालन हेतु लाइसेंस फीस कम करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के॰के॰ नगर और क्रॉफोर्ड क्षेत्र के बीच लोगों के आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 45-बी पर एक सब-वे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

श्री यशवंत सिन्हा ने उपर्युक्त मद संख्या 8 में उल्लिखित अपना भाषण पुन: आरंभ किया। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री चरण दास महन्त
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. डा॰ बलीराम
4. श्री सुबोधकान्त सहाय
5. श्री बसुदेव आचार्य

6. श्री शरद यादव
7. श्री तथागत सत्पथी
8. श्री कीर्ति (झा) आजाद
9. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री संजय सिंह चौहान
12. श्री लालू प्रसाद
13. श्री अधीर रंजन चौधरी
14. श्री फिरोज वरुण गांधी
15. श्री पी॰ लिंगम
16. श्री मनोहर तिर्की
17. श्री असादूद्दीन ओवेसी
18. डा॰ तरुण मंडल
19. श्री बाबू लाल मरांडी
20. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली
21. श्री दारा सिंह चौहान

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.47 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 16 *अप्रैल,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई*)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1618LS(S5)—15-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 16 अप्रैल, 2010/26 चैत्र, 1932 (शक)

संख्या 71

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया। व्यवधान के कारण, सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई। तारांकित प्रश्न संख्या 302—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3415—3644 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2695(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2696(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2697(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत समनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2698(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (3) और (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 105 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 62/1955-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 106 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 107 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 108 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 109 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 110 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 111 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 112 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 113 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 114 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 115 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 10/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 116 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 49/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 117 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा सौर विद्युत परियोजना अथवा सुविधा की प्रारंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित सभी उपस्करों, उपकरणों आदि पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 118 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा चबाने वाले तंबाकू तथा ब्रांड वाले अविनिर्मित तंबाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3क के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा०का०नि० 119 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पैकेजबंद और डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 120 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 24 के विनिर्दिष्ट माल को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 121 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 122 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 123 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 14 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के०उ०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण तथा शुल्क संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 124 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 125 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 24 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰ (गै॰टै॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 126 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा चबाने वाले तंबाकू तथा ब्रांड वाले अविनिर्मित तंबाकू को अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) चबाने वाले तंबाकू तथा अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण तथा शुल्क संग्रहण) नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 127 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 69 (अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क आयुक्तों (अपील) को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है तथा मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों के भीतर अपील में ऐसे मामले जो उन्हें सौंपे जाएं, पर निर्णय लेने के लिए उनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) की शक्तियां विनिहित की गईं हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 931 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), मंगलौर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) बंगलौर-II की सभी शक्तियां विनिहित की गईं हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 83 (अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 62/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 91 (अ) जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत, अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित मेलामाईन के आयातों पर सनसेट रिव्यू निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 92 (अ) जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 114/2009-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 93 (अ) जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्‌भूत, अथवा वहां से निर्यातित बस और ट्रक रेडियल टायरों के आयातों पर प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 95 (अ) जो 20 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, जापान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्‌भूत, अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्‌लैट उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 132 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित सामान की पहचान, मूल्यांकन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) संशोधन नियम, 2010 जो

27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 145 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 184 (अ) जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 203 (अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 107/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 94 (अ) जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, राष्ट्रीय खेल-कूद संघ, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के सदस्यों अथवा राष्ट्रमंडल खेल संघों अथवा भाग लेने वाले एथलीटों द्वारा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के प्रयोजनार्थ आयातित विनिर्दिष्ट माल को कतिपय शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 128 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 129 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 154/94-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 130 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 131 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 133 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/1999-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 134 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 135 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 25/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 136 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 21/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 137 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 138 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीटीए को एसईजेड से आपूर्ति से भिन्न विद्युत ऊर्जा पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 139 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा भारत में आयात करते समय विद्युत ऊर्जा को विशेष सीवीडी से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 140 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा फिल्मों, गेमिंग सॉफ्टवेयर आदि को सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 141 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा मोबाइल फोनों के पुर्जों, उपसाधनों, बैटरी चार्जरों तथा इसके पुर्जों आदि को विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 142 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय विशेष सीवीडी से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 143 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय सौर विद्युत परियोजना अथवा सुविधा की प्रारंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित सभी उपस्करों, उपकरणों आदि पर 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 144 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पैकेजबंद और डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 146 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पैकेजबंद अथवा डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर को कतिपय शर्तों के अध्यधीन संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 147 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 24/2004-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 148 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 3 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 33/2004-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 149 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 9 फरवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या 01/2000-सेवा कर को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवाओं का निर्यात (संशोधन) नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 150 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 151 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 33/2009-सेवा कर को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 152 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय रेल द्वारा विनिर्दिष्ट माल के परिवहन के संबंध में प्रदत्त कर योग्य सेवा को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 153 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 01/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 154 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्रीय अथवा राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय अथवा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवा को तकनीकी परीक्षण तथा विश्लेषण सेवाओं और तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणन सेवा से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 155 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा विद्युत पारेषण के संबंध में प्रदत्त कर योग्य सेवा को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 156 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना अथवा

महत्वपूर्ण विस्तार के लिए यांत्रिक खाद्यान्न संभलाई प्रणालियों, उपस्करों के निर्माण, आरंभन अथवा संस्थापन और कृषि, मधुवाटिका, बागवानी, डेयरी, पॉल्ट्री, मत्स्यपालन तथा समुद्री उत्पादों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार के संबंध में प्रदत्त कर योग्य सेवा को छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 157 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा किसी भी भारतीय न्यूज एजेंसी द्वारा ऑन लाईन इनफार्मेशन और डाटा बेस एक्सेस अथवा रिट्रीवल सर्विसेज तथा कारबार अनुषंगी सेवाओं के संबंध में प्रदत्त कर योग्य सेवा कर कतिपय शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 158 (अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 1/2002-सेवा कर का अधिक्रमण किया गया है तथा कॉन्टीनेंटल शेल्फ और भारत के एक्सक्लूसिव आर्थिक जोन में कतिपय क्रियाकलाप स्पष्ट किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 159(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर प्रदत्त और भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 160(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 161(अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा पैकेजबंद अथवा डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कतिपय शर्तों के अध्यधीन संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2010 जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 88(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 162(अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 2/2003-एमएण्डटीपी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 163(अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 3/2003-एमएण्डटीपी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और कारोबार) संशोधन नियम, 2010 जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 183(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 23 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 206(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन कंपनियों द्वारा तकनीकी ब्यौरे प्रस्तुत करना) विनियम, 2009 जो 23 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एल-7/138/(153)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में व्यस्तता दूर करने के उपाय) विनियम, 2009 जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/139/(159)/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण) विनियम, 2010 जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25/(5)/2003-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र मान्यता तथा निर्गमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–1/12/2010–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 जो 21 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–1/13/2010–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(16) उपर्युक्त (15) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी, लांग टर्म एक्सेस एण्ड मीडियम टर्म ओपन एक्सेस इन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन तथा संबद्ध विषय) विनियम, 2009 के खण्ड (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल–1(3)/2009–सीईआरसी जो 24 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1.1.2010 को उक्त विनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपयुर्क्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 23 फरवरी, 2010 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् पंद्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010;

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 2010;

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2010;

(4) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010; और

(5) विनियोग विधेयक, 2010.

4. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष के निदेश में संशोधन

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों में संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में छठा प्रतिवेदन;

(2) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में सातवां प्रतिवेदन;

(3) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में आठवां प्रतिवेदन; और

(4) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

7. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ शेख सैदुल हक ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2009 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 92वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पवन कुमार बंसल ने सोमवार 19 अप्रैल, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

---

* यह प्रतिवेदन 26 मार्च, 2010 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित कर दिया गया था।

अपराह्न 12.05 बजे

10. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 15 और 18, विनियमों और उप-विधियों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2007-08 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.07 बजे

12. व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

डॉ॰ शशि थरूर ने अध्यक्ष की अनुमति से, आईपीएल कोच्चि क्रिकेट टीम से संबंधित हाल के मामलों में अपनी भूमिका के संबंध में अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.04 बजे

(लोक सभा सोमवार, 19 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1720LS(S5)—16-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 अप्रैल, 2010/29 चैत्र, 1932 (शक)

संख्या 72

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321—325 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 326—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3645—3874 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (जलपोत सीवेज प्रदूषण निवारण) नियम, 2010 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में पैकेजबंद रूप में हानिकारक पदार्थों से प्रदूषण निवारण) नियम, 2010 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (भारी मात्रा में अपायकर द्रव पदार्थों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण) नियम, 2010 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2010-2011 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 611(अ) जो 17 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में शास्तियां लगाकर अधिशेष/अप्राधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 612(अ) जो 17 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों में शिथिलता दी गई है।

(11) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2010-2011 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ मुरली मनोहर जोशी ने वित्त संबंधी स्थायी समिति 2009-10 के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्त सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(6) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(7) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्त सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(8) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(9) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(10) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(11) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

5. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 215वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 216वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 217वां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रम और रोजगार मंत्री की ओर से श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 16 अप्रैल, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.03 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) गेहूं और चावल का बफर स्टॉक रखने में कथित कुप्रबंधन और लापरवाही के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने गेहूं और चावल का बफर स्टॉक रखने में कथित कुप्रबंधन और लापरवाही के बारे में निवेदन किया।

1. श्री राजनाथ सिंह
2. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री शरद यादव
5. श्री जगदम्बिका पाल

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) आईपीएल में कथित अनियमितताओं और अनाचार के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने आईपीएल में कथित अनियमितताओं और अनाचार के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री गुरुदास दासगुप्त
2. श्री लालू प्रसाद
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री शरद यादव
5. श्री गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

डॉ॰ राम चन्द्र डोम, डॉ॰ तरुण मंडल, प्रो॰ शेख सैदुल हक, श्री एम॰बी॰ राजेश और श्री पी॰के॰ बिजू सहयोजित हुए।

#श्री प्रणब मुखर्जी ने इसका उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा निजी क्षेत्र में कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदत्त न्यूनतम मूल पेंशन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डा॰ ज्योति मिर्धा द्वारा राजस्थान में पेयजल में उच्च फ्लोराइड तत्वों के कारण संदूषण की समस्या सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुरेश कुमार शेतकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश की खेल अकादमियों में हॉकी कोचों के पदों को भरे जाने तथा साथ ही देश में हॉकी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री महाबल मिश्रा द्वारा दिल्ली की प्राइवेट कॉलोनियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं दिए जाने के लिए दिल्ली सरकार को समुचित निधियां प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) चौधरी लाल सिंह द्वारा कठुआ, जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित उझ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना का शीघ्र उन्नयन और डीपीआर तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰ बलराम नाईक द्वारा दृष्टि तथा शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों के लिए चल रहे गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रताप नारायणराव सोनवणे द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 2.03 बजे।

(8) श्री किरीट पी॰ सोलंकी द्वारा अहमदाबाद पश्चिम, गुजरात के मणिनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के निकट कांकरिया गुड्स यार्ड में रिक्त स्थान का उपयोग करते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में बरागी परियोजना की मुख्य नहर को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गोरखनाथ पांडेय द्वारा भदोही, उत्तर प्रदेश के गलीचा बुनकरों तथा श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की दृष्टि से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी स्कीम के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा उत्तरी बिहार में हाल में आए तूफान के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ आर॰ नटराजन द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राज्य के आकार को साथ ही राज्य विशेषकर उड़ीसा के आवासों की संख्या तथा सापेक्ष पिछड़ेपन को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ संजीव गणेश नाईक द्वारा गोरेवाडा, नागपुर, महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित प्राणी उद्यान की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰ लिंगम द्वारा तमिलनाडु में तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोर्टल्लम जल प्रपातों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ तरुण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कैनिंग और कुल्टई ब्लॉकों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के दो केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

10. बजट (रेल)—2010-2011

लिया गया समय : 5 घंटे 32 मिनट

2010-2011 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16 पर चर्चा आरंभ हुई।

अस्सी कटौती प्रस्ताव (संख्या 21 और 22, 24, 36 से 42, 143 और 144, 147 से 149, 326 से 346, 368 से 392, 407, 408 से 412, 414 से 422 और 481 से 484) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
2. डा॰ निर्मल खत्री
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री दिनेश चन्द्र यादव
6. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
*7. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*8. श्रीमती प्रिया सुनील दत्त
*9. श्री देवेन्द्र नागपाल
*10. श्री रामकिशुन
*11. श्री वीरेन्द्र कश्यप
*12. श्री नारायण सिंह अमलाबे
13. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
14. श्री के॰डी॰ देशमुख
15. डॉ॰ पी॰एल॰ पुनिया
*16. श्री कमल किशोर
17. डा॰ राम चन्द्र डोम
*18. डा॰ चार्ल्स डायस
19. श्री रुद्र माधव राय
20. श्री आनंद प्रकाश परांजपे
*21. श्री भर्तृहरि महताब
22. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

23. श्री ओ॰एस॰ मणियन
24. श्री गणेश सिंह
25. चौधरी लाल सिंह
26. श्री विजय बहादुर सिंह
27. श्री धर्मेन्द्र यादव
*28. डा॰ मन्दा जगन्नाथ
29. श्री नामा नागेश्वर राव
*30. श्री हंसराज गं॰ अहीर
*31. श्री जयराम पांगी
32. श्री प्रबोध पांडा
33. श्री इन्दर सिंह नामधारी
*34. श्री संजय शामराव धोत्रे
35. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
*36. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
37. श्री उमाशंकर सिंह
*38. श्रीमती सुष्मिता बाउरी
*39. डा॰ पुलीन बिहारी बासके
40. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बु
41. श्री सोहन पोटाई
*42. प्रो॰ शेख सैदुल हक
43. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
*44. श्री ए॰के॰एस॰ विजयन
45. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
46. श्री राजाराम पाल
47. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

48. श्री राजू शेट्टी

49. श्री सतपाल महाराज

50. डा॰ महेन्द्र सिंह पृथ्वीसिंह चौहान

*51. श्री जगदम्बिका पाल

52. श्री राज बब्बर

*53. श्री अर्जुन राम मेघवाल

54. श्री दारा सिंह चौहान

*55. श्री तूफानी सरोज

*56. श्री शिवाजी अधलराव पाटील

*57. श्री रमेश बैस

*58. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*59. श्री मोहन जेना

*60. श्री सी॰ राजेन्द्रन

कुमारी ममता बनर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

2010-2011 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 16 वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 4 के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2010

12. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खंड 2 तथा 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#रात्रि 8.04 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 7.37 बजे से रात्रि 8.04 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1774LS(S3)—19-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010/30 चैत्र, 1932 (शक)

संख्या 73

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—344 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 345—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3875—4104 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2010-2011 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) वर्ष 2010-2011 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना) संशोधन नियम, 2010 जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 207(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत लॉटरी (विनियमन) नियम, 2010 जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 278(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 70(अ)/आव॰व॰/गन्ना जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चीनी का मूल्य जो चीनी वर्ष 2009-2010 के लिए अधिसूचना में उल्लिखित राज्य के संबंध में उचित और लाभकारी मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) की मद संख्या (ख) से (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 534(अ) जो 4 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्रदुर्ग-शिमोगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग जोन, बंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 480(अ) जो 25 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 218(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्सटेंशन (भोपाल-सांची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 281(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 525(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 276(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-

मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 311(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 312(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) और 69(क) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 321(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 372(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 420(अ) जो 18 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनाडोन-सिवनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3046(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (बाइपास के निर्माण सहित) (इंदौर-खालघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3197(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग क्रॉसिंग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3199(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 3221(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 39(अ) से का॰आ॰ 41(अ) जो 8 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 3227(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 3202(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 130(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी–लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3107(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तुमकुर–हरिहर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 3108(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तुमकुर–हरिहर हवेरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 369(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2457(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का॰आ॰ 368(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 278(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (नीलमंगला–तुमकुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 384(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (धारवाड़–बेलगाम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 3295(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (कर्नाटक/गोवा सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 277(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर–नीलमंगला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताइस) का॰आ॰ 3246(अ) जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर–नीलमंगला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाइस) का॰आ॰ 280(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 607(अ) और का॰आ॰ 608(अ) जो 17 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 202(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3198(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2810(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 3127(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 139(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1466(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का॰आ॰ 168(अ) जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 7 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3127(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 366(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 3128(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 3129(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मुजफ्फरनगर–हरिद्वार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 3130(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (हरिद्वार–देहरादून खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 3173(अ) और का॰आ॰ 3174(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 3215(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (लखनऊ–सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 219(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ–मुजफ्फरनगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 118(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली–आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 167(अ) जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (झांसी–खजुराहो खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 381(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2570(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 401(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 81(अ) जो 13 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 406(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (झांसी-खजुराहो खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 122(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 2522(अ) जो 1 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 284(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 183(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 860(अ) और 14 नवम्बर, 2006 के का॰आ॰ 1960(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का॰आ॰ 439(अ) से का॰आ॰ 447(अ) जो 23 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत–जालंधर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 216(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर–पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 3114(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली–किरतपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 3201(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 3195(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

4. गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पांडा ने गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2010–2011 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) वर्ष 2010-2011 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती अन्नू टन्डन ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(2) नदियों को आपस में जोड़े जाने के संबंध में ग्यारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

8. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कीर्ति आजाद ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-2011 (मांग संख्या 104) के बारे में 219वां प्रतिवेदन।

(2) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-2011 (मांग संख्या 105) के बारे में 220वां प्रतिवेदन।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मदन लाल शर्मा ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 154वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 155वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'चीनी क्षेत्र को विनियंत्रित करना' के बारे में श्री अर्जुन सेठी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के संबंध में 8.12.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

11. नियम 199 के अधीन वक्तव्य

डॉ॰ शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद से अपने त्याग पत्र के स्पष्टीकरण में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.12 बजे

12. सदस्य द्वारा निवेदन

बिहार में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए पीड़ितों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए पीड़ितों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया। श्री शैलेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने इसका उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई*।)

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.04 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनके लिए एक विशेष पुनर्वास योजना की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा यमुना नदी को प्रदूषणमुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर खण्ड पर महाराजानगर में एक नया रेलवे स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ महेश जोशी द्वारा जयपुर में मेट्रो ट्रेन शुरू करने के राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु के अथूर गांव में अथूर एनिकट चैनल को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को राजस्थान के लिए पानी छोड़े जाने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सतपाल महाराज द्वारा गैरसैन में उत्तराखंड की एक और विधान सभा का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिश्चंद्र चव्हाण द्वारा डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में केवल एक ही टोल प्लाजा रखे जाने तथा जनजातीय क्षेत्रों में टोल टैक्स का उद्ग्रहण रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए जाने तथा आदिवासियों को वन भूमि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण गर्भवती माताओं को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी द्वारा संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कम्हरिया घाट पर घाघरा नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण में स्थानीय संसद सदस्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, हल्दिया डिवीजन का शीघ्र पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा रंगनाथ मिश्र आयोग के प्रस्तावों सहित अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा प॰ बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा के साथ-साथ बसे गांवों की समस्याओं को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जोस के॰ मणि द्वारा फार्म ऋण का भुगतान न किए जाने की स्थिति में समपार्श्विक की जब्ती से रबड़ बागान क्षेत्र को राहत और छूट दिए जाने के लिए प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 का संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

10. बजट (सामान्य) — 2010-2011 — अनुदान की मांग

लिया गया समय : 5 घंटे 08 मिनट

वर्ष 2010-2011 के लिए विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 31 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :—

1. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी
2. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
3. श्री मुलायम सिंह यादव

4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे
8. एडवोकेट ए॰ सम्पत
9. श्री योगी आदित्यनाथ
10. श्री अधीर रंजन चौधरी
*11. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. श्री अब्दुल रहमान
14. श्री सी॰ शिवासामी
*15. श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद
16. श्री प्रबोध पांडा
17. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
18. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
19. श्री मधु गौड यास्खी
20. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग
21. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
22. श्री एम॰ आई॰ शानवास
23. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
24. श्री असादूद्दीन ओवेसी
25. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
26. श्री अर्जुन राम मेघवाल
27. श्री शैलेन्द्र कुमार
*28. श्री जगदम्बिका पाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री एस॰ एम॰ कृष्णा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 31 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की मांगों — बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 7.13 बजे

(*लोक सभा बुधवार, 21 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1799LS(S3)—20-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 21 अप्रैल, 2010/1 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 74

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—364 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 365—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4105—4334 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 389(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 262(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 191(अ) जो 27 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 3067(अ) जो 1 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(7) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राजीव विद्या मिशन, आंध्र प्रदेश (सर्व शिक्षा अभियान), हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव विद्या मिशन, आंध्र प्रदेश (सर्व शिक्षा अभियान), हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (साउदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (साउदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) यू॰पी॰ प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू॰पी॰ प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 अप्रैल, 2010 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चंद्र एस॰ देव ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(4) दूरसंचार विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पवन सिंह घाटोवार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की भूमिका के बारे में तीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

8. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

9. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड' के संबंध में समिति के 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) 'शहरी परिवहन' के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' के संबंध में समिति के 38वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का पांचवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

10. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री शरद यादव ने 'संपदा महानिदेशालय' के संबंध में अपने 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अनुसरण में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) परिषद् के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.05 बजे

12. सदस्य द्वारा निवेदन

बिहार में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए पीड़ितों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में

श्री शरद यादव ने बिहार में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए पीड़ितों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया। श्री लालू प्रसाद सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने इसका उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.00 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.03 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.03 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांडी में एक रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री हरीश चौधरी ने राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन लोगों के छप्पर वाले आवास आग में ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री पी॰टी॰ थामस ने केरल के इदुक्की जिले में भूमि अंतरण को सुकर बनाने के लिए किसानों को नाम विलेख दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री एल॰ राजगोपाल ने विभिन्न कृषि स्कीमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए सतर्कता और निगरानी समितियां गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री सर्वे सत्यनारायण ने आन्ध्र प्रदेश के मल्काजगिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल ऊपरिपुलों/अधोगामी पुलों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने केरल में पुलामोन में एक रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल ने देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कास्य-देवरिया सड़क पर रेल ऊपरिपुल का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री दिनेश चन्द्र यादव ने समस्तीपुर-खगड़िया यात्री गाड़ी (ट्रेन सं॰ 364) का बिहार में सहरसा जंक्शन तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री रूद्र माधव राय ने उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत ब्रुटंगा सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री पी॰ करुणाकरन ने स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय सरकारी पेंशन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.19 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आबंटित समय	:	3 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 55 मिनट
शेष	:	1 घंटा 05 मिनट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009

श्री जयराम रमेश द्वारा 15 मार्च, 2010 को पेश किए गए विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संदीप दीक्षित (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
3. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव
4. डा॰ काकोली घोष दस्तिदार
5. श्री एम॰बी॰ राजेश
6. श्री विजय बहादुर सिंह
7. श्री एस॰ सेम्मलई
8. श्री जयंत चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

15. प्रस्ताव

श्री विजय बहादुर सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 20 अप्रैल, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया

राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा 11 दिसम्बर, 2009 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

> "उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रामकिशुन
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री घनश्याम अनुरागी
4. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
5. श्री अधीर रंजन चौधरी
6. श्री गोरख नाथ पाण्डेय
7. डॉ॰ विनय कुमार "विन्नु" पाण्डेय
8. श्री तूफानी सरोज
9. श्री कमल किशोर
10. श्री विजय बहादुर सिंह
11. श्री संजय निरुपम
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. डॉ॰ पी॰एल॰ पुनिया
14. श्री रमाशंकर राजभर

श्री वी॰ नारायणसामी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

राजकुमारी रत्ना सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सायं 6.02 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह देश से वर्ष 2015 तक गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:—

(एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना;

(दो) ऐसे प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना;

(तीन) ऐसे प्रत्येक परिवार जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुंब पेंशन देना; और

(चार) ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 22 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1866LS(S3)—21-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 22 अप्रैल, 2010/2 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 75

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—384 और 386 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 385 और 387—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4335—4564 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ''स्कीम फॉर फाइलिंग ऑफ स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स एण्ड अदर ट्रांजैक्शन बाई कम्पनीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड (दूसरा संशोधन), 2009'' जो 31 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 3314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन), 2010 जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (दूसरा संशोधन), 2008 जो 5 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 177(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2010 जो 11 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 24(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बिको लॉरी लिमिटेड तथा रसायन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रसायन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) केआईओसीएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती कुद्रेमुख ऑयरन ओर कंपनी लिमिटेड) तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किए।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग—अधिदेश और उपलब्धियां इसके संगठन और कार्यकरण की समीक्षा'' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 7वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कृषि संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 10वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 11वां प्रतिवेदन।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2010-2011)'' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2010-2011)'' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2010-2011)'' के बारे में छठा प्रतिवेदन।

11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 204वां प्रतिवेदन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 205वां प्रतिवेदन।

(3) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 206वां प्रतिवेदन।

12. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 156वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 157वां प्रतिवेदन।

(3) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 158वां प्रतिवेदन।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010

*अपराह्न 12.25 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

हिसार जिले में दलितों पर कथित अत्याचार के बारे में

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने हिसार जिले में दलितों पर कथित अत्याचार के बारे में निवेदन किया। सर्वश्री दारा सिंह चौहान, हंसराज गं॰ अहीर, अर्जुन राम मेघवाल और डा॰ वीरेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने इसका उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.28 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रवनीत सिंह द्वारा पंजाब में कंडी नहर के चरण-दो के निर्माण कार्य का नवीन सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एकनाथ एम॰ गायकवाड़ द्वारा महाराष्ट्र में बृहन मुम्बई स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली द्वारा आन्ध्र प्रदेश में ओल्ड गोदावरी ब्रिज जिसे हैवलॉक ब्रिज के नाम से जाना जाता है,को राजामुंदरी और कोव्वूर को जोड़ते हुए एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा गुजरात में उन्झा और महेसाणा रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ क्षेत्र को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सी॰ शिवासामी द्वारा तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों के लिए एक समान विद्युत प्रशुल्क रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.30 बजे

16. बजट (सामान्य)—2010-11—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय 6 घंटे 50 मिनट

वर्ष 2010-11 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगें संख्या 81, 82 और 83 पर चर्चा आरंभ हुई।

एक कटौती प्रस्ताव (सं॰ 26) पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे
2. श्री तूफानी सरोज
3. डा॰ संजय सिंह
4. डा॰ बलीराम
5. डा॰ अर्जुन राय
6. श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर
*7. डा॰ तरुण मंडल
8. डा॰ पुलीन बिहारी बासके
9. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
10. डा॰ पी॰ एल॰ पुनिया
11. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
12. श्री एस॰ आर॰ जेयदुरई
13. श्री नित्यानन्द प्रधान
14. श्री के॰ सुगुमार
15. डा॰ ज्योति मिर्धा
*16. श्री प्रबोध पाण्डा
17. डा॰ राजन सुशांत
18. श्री रमेश राठौड़
19. श्री जगदानन्द सिंह
20. श्री मदन लाल शर्मा
21. श्री पी॰ लिंगम
22. श्री शेर सिंह घुबाया
23. श्री पी॰ टी॰ थॉमस

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*24. श्री समीर मगन भुजबल

*25. श्री वीरेन्द्र कश्यप

26. श्री विष्णु पद राय

27. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

*28. श्री गणेश सिंह

29. श्री उदय प्रताप सिंह

*30. श्री भर्तृहरि महताब

*31. श्री रमाशंकर राजभर

32. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

33. श्री हरीश चौधरी

34. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल

35. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी

36. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी

*37. श्री ए॰के॰एस॰ विजयन

38. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो

39. डा॰ काकोली घोष दस्तिदार

*40. डा॰ एम॰ जगन्नाथ

*41. श्री राम सिंह कास्वां

42. श्री प्रभाकर पोन्नम

*43. श्री सतपाल महाराज

*44. श्री प्रेम दास राय

45. श्रीमती कमला देवी पाटले

46. श्री रामकिशुन

47. श्री एम॰ राजा मोहन रेड्डी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

48. श्री राजू शेट्टी

49. श्री घनश्याम अनुरागी

50. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

51. श्री धनंजय सिंह

52. श्री प्रदीप टम्टा

*53. डा॰ (श्रीमती) झांसी बोचा लक्ष्मी

*54. श्री जगदम्बिका पाल

डा॰ सी॰पी॰ जोशी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किया गया कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें संख्या 81, 82 और 83 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 7.20 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 23 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—1903LS(S3)—22-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 अप्रैल, 2010/3 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 76

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

इंडियन प्रीमियर लीग में अनियमितता और कदाचार की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने इंडियन प्रीमियर लीग में अनियमितता और कदाचार की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री शरद यादव
3. श्री बसुदेव आचार्य
4. श्री गुरुदास दासगुप्त

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 402—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4565—4794 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.21 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड और शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक 4) (प्रत्यक्ष कर)।

(दो) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक 12) (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)—अनुपालन लेखापरीक्षा।

(तीन) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक 13) (अप्रत्यक्ष कर—सेवा कर)—अनुपालन लेखापरीक्षा।

(चार) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक 14) (अप्रत्यक्ष कर—सीमा शुल्क)—अनुपालन लेखापरीक्षा।

(पांच) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)(2009-10 का संख्यांक सीए 11)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय रेल विनियोग लेखे, भाग-एक — वर्ष 2008-2009 के लिए समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल विनियोग लेखे, भाग-दो — वर्ष 2008-2009 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे।

(तीन) भारतीय रेल विनियोग लेखे, भाग-दो — वर्ष 2008-2009 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)।

(5) वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्केट बोरोइंग्स के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आन्ध्रा बैंक (शेयर्स एंड मीटिंग्स) संशोधन विनियम, 2009 जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/25/पी॰ 119/816 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कारपोरेशन बैंक (शेयर्स एंड मीटिंग्स) संशोधन विनियम, 2008 जो 1 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएसडी: 288/09-10 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विजया बैंक (शेयर्स एंड मीटिंग्स) संशोधन विनियम, 2008 जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6/4/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2010, जो 18 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 424(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 23 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 667(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 275(अ) जो 31 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2010 जो 19 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 89(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1955 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) ट्रेंड एण्ड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2007 के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 2005 जो 8 जनवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/828 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2282(अ) जो 8 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें उक्त अधिनियम के प्रयोजन से किंगफिशर एयरलाइंस को ''डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर'' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/29/195872 जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका शुद्धिपत्र 14 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/28/190983 में दिया हुआ है, की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

---

*प्रतिवेदन 16.3.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

(16) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 199(अ) जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट पक्षों द्वारा उत्पादित और निर्यातित प्रीसेंसिटाइज्ड पॉजीटिव ऑफसेट एल्युमिनियम प्लेट्स के आयातों पर, न्यू शिप्पर समीक्षा सम्पन्न होने तक 25 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना 108/2007-सीमा शुल्क के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण विहित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 208(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयातों पर, विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 209(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के कूमारिन के आयातों पर, विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 210(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों, जिन्हें इन्जेक्शन प्रेसेस के नाम से भी जाना जाता है और जिनकी क्लैम्पिंग फोर्स 40 टन से कम नहीं है, के आयातों पर, विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 285(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पॉलीटेट्राफलोरोइथीलिन के आयातों पर, अभिहित प्राधिकारी की मध्यावधिक निष्कर्षों के अनुसरण में 16 अक्तूबर, 2010 तक तथा उसके समेत, निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना जारी रखा गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या डीबीओडी॰डीएल॰बीसी॰ 49/20.16.040/2009-10

जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमन, 2006 के विनियम 5 (1) (ख) में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गोवा और संघराज्य क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसायों की देख-रेख) विनियम, 2009 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-05/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम, 2009 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-06/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009 जो 7 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-07/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2009 जो 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-08/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गोवा और संघराज्य क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण में ओपन एक्सेस) विनियम, 2009 जो 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-09/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) गोवा और संघराज्य क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 जो 9 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-10/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(19) एसजेवीएन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2010 जो 21 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 45(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ विनय कुमार पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (की-गई-कार्यवाही) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत किया।

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

(2) खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में पांचवां प्रतिवेदन।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रदीप टम्टा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में 207वां प्रतिवेदन।

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में 208वां प्रतिवेदन।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में 209वां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने ''प्रधानमंत्री के न्यूक्लियर सिक्यूरिटी समिट और आईबीएसए तथा बीआरआईसी समिट के लिए दौरों'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) शहरी विकास मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेशनरी ऑफिस, कोलकाता' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के संबंध में 27वां प्रतिवेदन;

(2) अनुदानों की मांग (2008-2009) के संबंध में 29वां प्रतिवेदन;

(3) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की भूमिका के संबंध में 30वां प्रतिवेदन;

(4) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के सबंध में 31वां प्रतिवेदन।

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 26 अप्रैल, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

10. बजट (सामान्य)—2010-2011—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 5 घंटे 29 मिनट

वर्ष 2010-2011 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 94 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः—

1. श्रीमती सुष्मिता बाउरी
2. श्री हेमानंद बिसवाल
3. श्री अर्जुन मुंडा
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री शरद यादव

*6. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद

*7. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा

*8. श्री रामसिंह राठवा

*9. डा॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

*10. श्री यशवंत लागुरी

*11. श्री लक्ष्मण टुडु

12. श्री रमाशंकर राजभर

13. श्री रमेश राठौड़

*14. श्री सतपाल महाराज

15. डा॰ काकोली घोष दस्तिदार

16. श्री के॰ *उर्फ* जे॰के॰ रितीश शिवकुमार

17. श्री जयराम पांगी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

18. श्री के॰ एम॰ आनंदन

19. डा॰ प्रभा किशोर ताविआड

*20. श्री पवन सिंह घाटोवार

21. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*22. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

23. श्री निनोंग ईरींग

*24. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बु

*25. डा. विनय कुमार ''विन्नु'' पाण्डेय

26. श्री बिभू प्रसाद तराई

27. श्री हमदुल्लाह सईद

*28. श्री कमल किशोर

29. श्री विष्णु पद राय

30. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

31. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

32. श्री कल्याण बनर्जी

33. श्री विजय बहादुर सिंह

34. श्री बसोरी सिंह मसराम

35. श्री हसन खान

*36. श्री प्रेम दास राय

37. श्री हंसराज गं॰ अहीर

38. श्री प्रदीप माझी

39. डा॰ पुलीन बिहारी बासके

40. श्री भर्तृहरि महताब

41. श्री रघुवीर सिंह मीणा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

42. श्री राजा राम पाल

*43. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

*44. श्री जगदम्बिका पाल

श्री कांतिलाल भूरिया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 4 में दर्शाए गए जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अनुदान की मांग संख्या 94 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

रात्रि 7.29 बजे

(लोक सभा सोमवार, 26 *अप्रैल,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—1956LS(S3)—23-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 अप्रैल, 2010/6 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 77

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

राजनीतिक नेताओं के कथित फोन टेप किए जाने के बारे में

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीतिक नेताओं के कथित फोन टेप किए जाने के बारे में निवेदन किया। गृह मंत्री ने इसके उत्तर में एक वक्तव्य* दिया।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 422—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4795—5024 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(*सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.13 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई*)

---

*अपराह्न 12.06 बजे

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2010-2011 के लिए पंचायती राज मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 276 (अ) जो 31 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन (जलयानों के कचरे से प्रदूषण का निवारण) नियम, 2009 जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 847(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 305(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 23 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 443(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 466(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् का गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आर्टिफिशयल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशयल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपयुर्क्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में समिति का आठवां प्रतिवेदन।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरेश अंगड़ी ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 57) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 221वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पोत परिवहन मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'खुदरा क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेश' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 90वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

यातना निवारण विधेयक, 2010

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.11 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामले, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा तिब्बत में सांगपो नदी पर चीन द्वारा बांध के निर्माण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु विशेष पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु राज्य में उर्वरक संयंत्रों तथा स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्य के लिए के.जी. बेसिन से प्राकृतिक गैस का कोटा आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम को अक्षरश: लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रमेश डेका द्वारा असम में रेल, सड़क और जलमार्ग के मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन और विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरी कॉलेज का उन्नयन करके उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड कोलियरियों से कोयले की ढुलाई में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो लोग बीपीएल सूची में शामिल नहीं हैं और जिनके कामचलाऊ आवास आग में नष्ट हो गए, उन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले में महिषी में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में धर्मपुरी के विद्यमान रिले केन्द्र का स्तरोन्यन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 213 पर मन्नरक्कड बाईपास और कुंथीपुझा पुल के स्थान पर एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जयंत चौधरी द्वारा देश में जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन हेतु उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ तरुण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र, विशेष रूप से जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नदी तटबंधों को ज्वारीय तरंगों से होने वाली क्षति और कटाव से बचाने के लिए उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.03 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 27 *अप्रैल,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2042LS(S3)—26-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 अप्रैल, 2010/7 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 78

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन और तेरहवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती प्रभा राव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 21 अप्रैल, 2010 को हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में हुई दुर्घटना में मारे गए दो व्यक्तियों तथा एक दर्जन से अधिक अन्य व्यक्तियों के घायल होने का भी उल्लेख किया जिसमें कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा भारी संख्या में दलितों के मकानों में आग लगा दी गई।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 441—460 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5025-5254 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नार्थ ईस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ओमनिबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एवं दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड, नैनी दमन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनिबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एवं दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड, नैनी दमन के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर, के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत कयर उद्योग (संशोधन) नियम, 2010 जो 16 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 597(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सहायक कमांडेन्ट समूह 'क' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'ख' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 166(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'ग' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक (संशोधन) भर्ती नियम, 2009 जो 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2215(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायाधीश की विशेष

न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, असम को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2948(अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश-V (दक्षिण) की न्यायालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पटियाला हाउस न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 3205(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोच्चि स्थित विशेष न्यायाधीश की विशेष न्यायालय-II, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केरल को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 213(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुंबई स्थित माननीय न्यायाधीश, श्री हयात नागरकर, की अध्यक्षता वाली विशेष न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपयुर्क्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1992-1993 से 1994-1995 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा

वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1987-1988 से 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) आंध्र प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग की भर्ती) संशोधन विनियम, 2010 जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 103(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12कक के अंतर्गत का०आ० 705(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में घोषित किया गया है।

(दो) का०आ० 706(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यूरिया, जिंकेटेड यूरिया और एन्हाइड्रस अमोनिया को अधिसूचित किया गया है।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत फल और सब्जी श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2010 जो 12 मार्च, 2010 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1837(अ) जो 27 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 3235(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 868(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 3138(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 3044(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया–पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 3050(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 3179(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना–बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3230(अ) जो 15 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3190(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर–पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 3200(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 3193(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3135(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3139(अ) जो 7 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3150(अ) जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 3136(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 3116(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 3101(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 3053(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-खगड़िया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 3125(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी-औरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3092(अ) से का॰आ॰ 3094(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1818(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 500(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2081(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 1840(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 27 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1227(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तेईस) का॰आ॰ 3007(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2840(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना-बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2999(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 3057(अ) और का॰आ॰ 3058(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खण्ड) के विभिन्न भागों के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 3126(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 3079(अ) जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-खगड़िया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनत्तीस) का॰आ॰ 3211 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 3196 (अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तीस) का॰आ॰ 3104 (अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 221 (अ) जो 29 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 3171 (अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 3262 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 3219 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1227 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 3111 (अ) जो 22 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2730 (अ) जो 30 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी, एलएएनएच–वेल्लोर–9 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 3209 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर–सेलम–मदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 374 (अ) जो 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडिगुल–थेनी–कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 283 (अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूट्टानी–चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 3161(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

45ख (मदुरै–अरूप्पुकोट्टाई–थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का०आ० 2729(अ) जो 30 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेतालीस) का०आ० 3214(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का०आ० 403(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुचिरापल्ली–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का०आ० 399(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (परियोजना चैनेज) (केरल/तमिलनाडु सीमा से कन्याकुमारी खण्ड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख (नागरकोइल–कवालकिनारू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का०आ० 383(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम–उलुंदुरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का०आ० 171(अ) जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई पोर्ट–मदुरावोयल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 3217(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपासों सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 375(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (परियोजना चैनेज) (केरल/तमिलनाडु सीमा से कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 136(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तनी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 3216(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडिगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 674(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (लंका-उदाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 562(अ) जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 (जोराबट-बारापानी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 400(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबारी-बिजनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 622(अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि–तोपुरघाट–ओमालुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 700(अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 701(अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अट्ठावन) का॰आ॰ 473(अ) जो 18 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद–अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 438(अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ–मुजफ्फरनगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 589(अ) जो 15 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद–अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 669(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा–ग्वालियर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 579(अ) जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद–बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 3110(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत मनोर टॉवले परियोजना) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 3228(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु डिप्टी कलेक्टर और विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), नागपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 3296(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 317(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 3297(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी संख्या 16, सतारा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 476(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगांव-अमरावती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 3106(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बीजापुर-हुंगुन्ड-हास्पेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 3220(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (हुंगुन्ड-हास्पेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 279(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 380(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1688(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेहत्तर) का॰आ॰ 3231(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्रबंधक (तकनीकी), दावांगेरे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन, पीआईयू, चित्रदुर्ग को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 373(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन एकक, धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 379(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2089(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 3124(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4

(कगल–सतारा–पुणे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी संख्या 16, सतारा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 60(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वादापे–गोण्डे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 133(अ) और का॰आ॰ 137(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे–शोलापुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नासी) का॰आ॰ 377(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 2996(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर–रायपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 3042(अ) और 3045(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के विभिन्न भागों (संबलपुर–बारगढ़–उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 3054(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (मालतीपटपुर–सिपासुरूबुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 3047(अ) जो 30 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (बीरापरतापपुर–समजाजपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 3192(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 3266(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमुली–राजामुंडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 220(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (उत्तरासासाना–पालतीपटपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 222(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 23 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2669(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(अठासी) का॰आ॰ 3264(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2491(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(नवासी) का॰आ॰ 3177(अ), का॰आ॰ 3172(अ) और का॰आ॰ 3169(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर–बारगढ़–उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नब्बे) का॰आ॰ 217(अ) जो 29 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (गड़पराजंग-दिहाडोल खण्ड) और (भुवन भदालियापासी-भुवनबेठियापाल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 631(अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 560(अ) जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (खानापारा-कालीकुची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 563(अ) जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवाणु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का॰आ॰ 564(अ) जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंचानवे) का॰आ॰ 565(अ) जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (अमृतसर-बाघा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 693(अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 691(अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (अमृतसर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 558(अ) और का॰आ॰ 559(अ) जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 498(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (नरसिंहपुर गांव) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सौ) का॰आ॰ 666(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 79(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 688(अ) जो 25 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खण्ड) के विभिन्न भागों के प्रचालन तथा पैदल उपरि पुल के निमार्ण के बारे में है।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 3036(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 2892(अ) जो 13 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 2893(अ) जो 13 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ पांच) का॰आ॰ 43(अ) जो 8 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ छह) का॰आ॰ 107(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 196(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ सात) का॰आ॰ 108(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 196(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ आठ) का॰आ॰ 109(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महरौली-गुड़गांव सड़क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है।

(एक सौ नौ) का॰आ॰ 143(अ) जो 21 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है।

(एक सौ दस) का॰आ॰ 235(अ) जो 2 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महरौली-गुडगांव सड़क को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(एक सौ ग्यारह) का॰आ॰ 386(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी फेज-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(एक सौ बारह) का॰आ॰ 387(अ) जो 1 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ तेरह) का॰आ॰ 542(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्यांकन प्रणाली के सुव्यवस्थीकरण/आशोधन के बारे में है।

(एक सौ चौदह) का॰आ॰ 485(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(एक सौ पंद्रह) का॰आ॰ 486(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों को केरल राज्य सरकार से वापस लिए जाने के बारे में है।

(31) उपर्युक्त (30) की मद संख्या (37) और (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संस्कृति मंत्रालय—भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों का रख-रखाव विषय पर 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यक्रम और योजनाएं विषय पर 18वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री मधु गौड यास्खी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नवीन जिन्दल ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 144वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.02 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामले, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰एस॰ आलागिरी द्वारा तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मोहम्मद असरारुल हक द्वारा बिहार के किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में आए चक्रवात के कारण प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भारी संख्या में विद्युत परियोजनाओं के संग्रहण को रोकने हेतु दिशानिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ चरण दास महन्त द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु एक निगरानी तंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा पार्किंग लॉट के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में लाने हेतु प्रसार भारतीय अधिनियम, 1990 का निरसन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य प्रदेश के भिंड-मुरैना क्षेत्र में युवकों की बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ''चंबल रेजिमेंट'' का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मिथिलेश कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अरविन्द कुमार चौधरी द्वारा लखनऊ और मुजफ्फरपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में हल्दिया रेलवे स्टेशन पर गुड्स यार्ड बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन हेतु संसद सदस्यों की संस्तुति करने वाले कोटा को फिर से लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री ए॰ गणेशमूर्ति द्वारा तमिलनाडु के इरोड और इसके इर्द गिर्द में औद्योगिक इकाईयां जिनसे विषाक्त कचड़ा निकलता है और पेयजल तथा सिंचाई के प्रयोजन से उपयोग के लिए किए जाने वाले जल के लिए संदूषण का खतरा उत्पन्न हो रहा है, के लिए निःस्राव शोधन संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई)

सायं 6.00 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद ने मूल्यों में वृद्धि आदि के बारे में निवेदन किए।

अपराह्न 6.14 बजे

10. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त ने गिलोटीन किए जाने वाले अनुदानों की मांगों के संबंध में सभा में कटौती प्रस्तावों के पेश किए जाने के बारे में सदस्यों के अधिकार के संबंध में मुझे लिखे एक पत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 113 का उद्धरण दिया और कहा कि चूंकि संविधान द्वारा लोक सभा को यह शक्ति दी गई है कि वह मांग में विनिर्दिष्ट राशि की कटौती के अध्यधीन मांग की अनुमति दे, सदस्यों को सभा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किसी भी मांग के बारे में कटौती प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है।

15 अप्रैल, 2010 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया था। मैंने संवैधानिक उपबंधों तथा सभा में अनुसरण की जाने वाली नियम व प्रक्रिया के संदर्भ में इस मामले की जांच करने का वचन दिया था।

अब तक सभा में अपनाई जाने वाली यह पद्धति रही है कि अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव जिनका गिलोटीन होता है, परिचालित नहीं किया जाता है और इस प्रकार इन्हें पेश करने की अनुमति नहीं होती है। किन्तु मुझे कोई ऐसा नियम नहीं मिला जिसमें उन मांगों पर कटौती प्रस्ताव को पेश करने पर रोक हो जिन पर सभा में चर्चा नहीं की जाती है।

कटौती प्रस्ताव पेश करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन सभा में निहित शक्ति से प्राप्त होती है जिसमें उस मांग में विनिर्दिष्ट राशि की कटौती के अध्यधीन किसी मांग की अनुमति दी जाती है। इस अनुच्छेद में अथवा किसी भी नियम में सभा में चर्चा की जाने वाली तथा गिलोटीन की जाने वाली मांगों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। अनुच्छेद 113 में ''कोई मांग'' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुच्छेद 113(2) के अधीन सभा में प्रस्तुत सभी मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

मैंने कटौती प्रस्ताव के मामले में नियम तथा कई वर्षों से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर गहन विचार किया है। मैंने संवैधानिक उपबंध का भी अध्ययन किया है जिसके द्वारा सभा को यह शक्ति दी गई है कि सभा में प्रस्तुत किसी भी मांग को वह कम कर सकता है। संवैधानिक अधिकार उच्चतर अधिकार है और सभी परंपराओं के ऊपर इसका अध्यारोही प्रभाव है। सभा में कटौती प्रस्ताव पेश करने का अधिकार सभा के सदस्यों का महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका उपबंध संविधान में किया गया है और जिसे संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। अत: मैं उन मांगों पर कटौती प्रस्ताव करने की अनुमति दे रही हूं जिन्हें गिलोटीन किया जाना है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बकाया मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूची पहले ही परिचालित की जा चुकी है। सामान्यतया, सदस्यों को जो कटौती प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक हैं उसकी क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट पहले पर्चियां दी जाती हैं। तथापि, वर्तमान मामले में चूंकि सदस्यों को वे जो कटौती प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक हैं उसकी क्रम संख्या दर्शाते हुए सभा पटल पर पर्चियां भेजने हेतु सदस्यों को समय देना संभव नहीं है, इसलिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बकाया मांगों से संबंधित सभी कटौती प्रस्ताव, जिसके लिए सूचनाएं दी गई हैं और परिचालित की गई हैं, को पेश किया हुआ माना जाएगा और बकाया मांगों के संसद की दोनों सभाओं में स्वीकृत होने से पूर्व इन कटौती प्रस्तावों का निपटान किया जाएगा।

11. बजट (सामान्य) — 2010-2011 — अनुदानों की मांगें

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मांग संख्या 72 पर कटौती प्रस्ताव संख्या 2 पर सभा में मतदान हुआ।

सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 192; विपक्ष में 276.

तद्नुसार, कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मांग संख्या 72 पर कटौती प्रस्ताव संख्या 1 पर सभा में मतदान हुआ।

सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 201; विपक्ष में 289.

तद्नुसार कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अन्य सभी कटौती प्रस्ताव, जिन्हें पेश किया गया माना गया, उन पर सभा में एक साथ मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 में दर्शाई गई राशि के लिए निम्नलिखित अनुदानों की मांगों (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) पर सभा में मतदान हुआ और ये पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं:—

(1) कृषि मंत्रालय की मांग संख्या 1 से 3.

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की मांग संख्या 4 और 5.

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांग संख्या 6 और 8.

(4) नागर विमानन मंत्रालय की मांग संख्या 9.

(5) कोयला मंत्रालय की मांग संख्या 10.

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मांग संख्या 11 और 12.

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग संख्या 13 से 15.

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मांग संख्या 16 और 17.

(9) कारपोरेट-कार्य मंत्रालय की मांग संख्या 18.

(10) संस्कृति मंत्रालय की मांग संख्या 19.

(11) रक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 20 से 27.

(12) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की मांग संख्या 28.

(13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की मांग संख्या 29.

(14) पर्यावरण और वन मंत्रालय की मांग संख्या 30.

(15) वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 32, 33, 35, 36 और 38 से 44.

(16) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मांग संख्या 45.

(17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मांग संख्या 46 से 48.

(18) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की मांग संख्या 49 और 50.

(19) गृह मंत्रालय की मांग संख्या 51 से 55 और 95 से 99.

(20) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की मांग संख्या 56.

(21) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांग संख्या 57 और 58.

(22) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांग संख्या 59.

(23) श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांग संख्या 60.

(24) विधि और न्याय मंत्रालय की मांग संख्या 61 और 62.

(25) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की मांग संख्या 64.

(26) खान मंत्रालय की मांग संख्या 65.

(27) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की मांग संख्या 66.

(28) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मांग संख्या 67.

(29) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की मांग संख्या 68.

(30) पंचायती राज मंत्रालय की मांग संख्या 69.

(31) संसदीय कार्य मंत्रालय की मांग संख्या 70.

(32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की मांग संख्या 71.

(33) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मांग संख्या 72.

(34) योजना मंत्रालय की मांग संख्या 73.

(35) विद्युत मंत्रालय की मांग संख्या 74.

(36) लोक सभा की मांग संख्या 76.

(37) राज्य सभा की मांग संख्या 77.

(38) उपराष्ट्रपति के सचिवालय की मांग संख्या 79.

(39) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मांग संख्या 80.

(40) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग संख्या 84 से 86.

(41) पोत परिवहन मंत्रालय की मांग संख्या 87.

(42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग संख्या 88.

(43) अंतरिक्ष विभाग की मांग संख्या 89.

(44) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मांग संख्या 90.

(45) इस्पात मंत्रालय की मांग संख्या 91.

(46) वस्त्र मंत्रालय की मांग संख्या 92.

(47) पर्यटन मंत्रालय की मांग संख्या 93.

(48) शहरी विकास मंत्रालय की मांग संख्या 100 से 102.

(49) जल संसाधन मंत्रालय की मांग संख्या 103.

(50) महिला और बाल विकास मंत्रालय की मांग संख्या 104.

(51) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मांग संख्या 105.

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2010.

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2010.

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 तथा अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.36 बजे

(लोक सभा बुधवार, 28 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2123LS—27-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 अप्रैल, 2010/8 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 79

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुरिया के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461—464 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 465—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5255—5484 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, सम्भलाई और ट्रांसबाउंड्री संचलन) तीसरा संशोधन नियम, 2010 जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 710(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पद्‌मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्‌मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राणी उद्यान की मान्यता नियम, 2009 जो 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 807(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 619(अ) जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, उत्तराखंड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, उत्तराखंड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या अट्ठाईस	चौदहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या उनतालीस	तीसरा सत्र, 1996

तेरहवीं लोक सभा

3.	विवरण संख्या इकतालीस	चौथा सत्र, 2000
4.	विवरण संख्या अट्ठाईस	ग्यारहवां सत्र, 2002
5.	विवरण संख्या पच्चीस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

6.	विवरण संख्या बाईस	दूसरा सत्र, 2004
7.	विवरण संख्या बीस	तीसरा सत्र, 2004
8.	विवरण संख्या बीस	चौथा सत्र, 2005
9.	विवरण संख्या अठारह	पांचवां सत्र, 2005
10.	विवरण संख्या सत्रह	छठा सत्र, 2005
11.	विवरण संख्या सोलह	सातवां सत्र, 2006
12.	विवरण संख्या चौदह	आठवां सत्र, 2006
13.	विवरण संख्या तेरह	नौवां सत्र, 2006
14.	विवरण संख्या बारह	दसवां सत्र, 2007
15.	विवरण संख्या दस	ग्यारहवां सत्र, 2007
16.	विवरण संख्या नौ	बारहवां सत्र, 2007

17.	विवरण संख्या सात	तेरहवां सत्र, 2008
18.	विवरण संख्या पांच	चौदहवां सत्र, 2008
19.	विवरण संख्या चार	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

20.	विवरण संख्या तीन	दूसरा सत्र, 2009
21.	विवरण संख्या दो	तीसरा सत्र, 2009
22.	विवरण संख्या एक	चौथा सत्र, 2010

(18) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित

अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्टब्लेयर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्टब्लेयर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 51-1/2009-एनसीटीई (एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) वैपकास लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

5. संसदीय समितियों (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न) के कार्य का सारांश

महासचिव ने संसदीय समितियों (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न) के कार्य का सारांश (1 जून, 2008 से 18 मई, 2009 तक) नामक प्रकाशन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ ज्योति मिर्धा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

(2) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(4) एड्स नियंत्रण विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.03 बजे

9. प्रस्ताव

श्री गोपीनाथ मुंडे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश कियाः—

"कि यह सभा 26 अप्रैल, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.10 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा सभी राज्यों द्वारा समयबद्ध रूप से अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में भारी आंधी और वर्षा के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आंध्र प्रदेश में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेज-2 की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नासीपुर और अजीमगंज के बीच भागीरथी नदी पर रेल पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले में बुनकरों के लाभ हेतु कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के अंतर्गत एलपीजी की एजेंसियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले में, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धाडर और तिलैया नदियों पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री महेन्द्र सिंह पी॰ चौहान द्वारा सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय से ही लापता असम रेजिमेंट के कैप्टन कल्याण सिंह हरि सिंह राठौड़ के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा चुरू से होकर जोधपुर और दिल्ली को जोड़ने वाली जोधपुर मेल को फिर से चलाए जाने और सराय रोहिल्ला (दिल्ली) और सादुलपुर के बीच रतनगढ़ तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ अर्जुन राय द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने तथा इसके समग्र विकास हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर द्वारा पश्चिम बंगाल में आम आदमी की सेवा करने वाले संगठन 'कृषि विकास शिल्प केन्द्र' को फिर से चालू करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एस॰आर॰ जेयदुरई द्वारा दियासलाई उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) एडवोकेट ए॰ सम्पत द्वारा लोकप्रिय मलयालम समाचार पत्र 'केरल कौमुदी' की स्थापना के सौ वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम-बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलुरघाट में नई एलपीजी एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री चार्ल्स डिएस द्वारा केरल के अर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का नवीकरण कार्य आरंभ कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

11. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2007-08

लिया गया समय: 8 मिनट

वर्ष 2007-08 के लिए बजट (सामान्य) की अतिरिक्त अनुदानों की मांग (सामान्य) संख्या 22, 39, 59 और 95 लिए गए।

वर्ष 2007-08 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांगें (सामान्य) संख्या 22, 39, 59 और 95 (राजस्व लेखा) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.11 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

आईपीएल में अनियमितताओं और कदाचार तथा राजनीतिक नेताओं के कथित फोन टेप किए जाने की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति की मांग के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने आईपीएल में अनियमितताओं और कदाचार तथा राजनीतिक नेताओं के कथित फोन टेप किए जाने की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति की मांग के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. श्रीमती सुषमा स्वराज
3. श्री शरद यादव

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.17 बजे

15. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आवंटित समय : 10 घंटे
लिया गया समय : 3 घंटे 47 मिनट
शेष : 6 घंटे 13 मिनट

वित्त विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हरिन पाठक
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री बंस गोपाल चौधरी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री एस॰ सेम्मलई
7. श्री प्रबोध पांडा
8. श्री निशिकांत दुबे
9. श्री भक्त चरण दास
10. श्री नरहरि महतो
11. श्री अर्जुन राम मेघवाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.43 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.04 बजे से सायं 6.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2149LS—28-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 अप्रैल, 2010/9 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 80

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481—485 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 486—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5485—5675 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2010-2011 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 700(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटेरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 843(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) वर्ष 2010-2011 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन काउंसिल फार हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन काउंसिल फार हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नालॉजी, भदोही के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नालॉजी, भदोही के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और विवरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 618(अ) जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों, जो सेल्स ऑफिसर के रैंक से कम न हों, को उक्त आदेश के खण्ड 13 के उपखण्ड (1) के अंतर्गत शक्ति का तत्काल प्रभाव से प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 38(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 20 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 769(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड [आपात प्रतिक्रिया तथा आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) पद्धति संहिता] विनियम, 2010 जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 39(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2009 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2009 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा, 12 मार्च, 2010 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2010 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:—

1. प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़
2. श्री अश्विनी कुमार
3. श्री कलराज मिश्र
4. श्री प्रशांत चटर्जी
5 श्री एन॰ बालगंगा
6. श्री एन॰के॰ सिंह
7. श्री तिरुची शिवा

(दो) कि राज्य सभा, 12 मार्च, 2010 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2010 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:—

1. सुश्री मैबल रिबैलो
2. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी
3. श्री प्रकाश जावडेकर
4. श्री नरेश गुजराल
5. श्री तपन कुमार सेन
6. श्री भरत कुमार राऊत
7. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य

(तीन) कि राज्य सभा ने 12 मार्च, 2010 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2010 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त होने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया:—

1. श्री मुकुट मिथी
2. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
3. सुश्री सुशीला तिरिया
4. श्री नन्द कुमार साय
5. सुश्री अनुसुइया उइके
6. श्री वीर सिंह
7. श्री वीर पाल सिंह यादव
8. श्री थॉमस संगमा
9. श्री डी॰ राजा
10. श्री लालमिंग लिआना

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने लोक लेखा समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित 'मंत्रालयों/विभागों द्वारा चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में की-गई-कार्यवाही टिप्पणों का समय पर प्रस्तुत न किए जाने' के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'एडीजीईएस राडार का कार्यकरण, विशेष वस्त्रों और पर्वतारोही उपकरण की खरीद तथा पट्टा निष्पादन और नवीकरण में विलंब' के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'टोल शुल्क लगाने में विलंब के कारण राजस्व हानि' के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन (यूएसओ) फण्ड का प्रशासन' के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(5) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'कम कर लगाने, शुल्क योग्य माल के गलत वर्गीकरण और निर्यात दायित्व को पूरा न करने के कारण राजस्व की हानि' के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(6) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन और भूमि प्रबंधन' के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(7) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'बाघ अभयारण्यों में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण' के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(8) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'सामग्री की खरीद और माल-सूची नियंत्रण' के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।

(9) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में मालभाड़ा और वैगन प्रबंधन' के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(10) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास' के बारे में उनके 55वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन; और

(11) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में स्वच्छता और सफाई' के बारे में उनके 83वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

6. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शिवराम गौडा ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 93वां प्रतिवेदन; और

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 94वां प्रतिवेदन।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ के॰ बीजू ने उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-2011 (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 222वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मनीष तिवारी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(दो) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की एक अधिकारी के बारे में वक्तव्य दिया।

10. श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से श्री श्रीकांत जेना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने सन् 1984 के दंगे के बारे में निवेदन किया जिसमें भारी संख्या में सिख मारे गए थे। डा॰ तरूण मंडल सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.33 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) डा॰ थोकचोम मैन्या द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु मणिपुर सरकार को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न के बदले नकद राशि दिए जाने के प्रस्ताव को समाप्त किए जाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न वितरण की वर्तमान प्रणाली को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.31 बजे

#अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री एकनाथ एम॰ गायकवाड द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीकरण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी द्वारा जोधपुर सिटी को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्कीम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ महेश जोशी द्वारा राजस्थान में जयपुर और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी हिमपात के कारण जिन फल और धान उत्पादकों की फसल नष्ट हुई है, उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा देश के विभिन्न भागों में डूबने की घटना होने पर तैराकी और बचाव कार्य में युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु नौसेना की सेवा का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री प्रताप नारायणराव सोनवणे द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत और अधिक श्रेणियों को जोड़े जाने तथा इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि का वार्षिक आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा 1.1.2004 से पूर्व सेवा में प्रवेश करने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि सह पेंशन स्कीम लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री डी॰बी॰ चन्द्रे गौडा द्वारा पिछड़ेपन तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए गुलबर्ग, रायचूर, बीदर और कोप्पल जिले वाले उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा रीवा और भोपाल के बीच चलने वाली रीवांचल एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डा॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा रेशम सिल्क की खरीद और बुनकरों को उचित मूल्य पर इसकी आपूर्ति करने में 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड' को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जोस के॰ मणि द्वारा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए धनराशि का साम्य आवंटन करने के उद्देश्य से गरीबी के निर्धारण हेतु मापदण्ड को फिर से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.34 बजे

13. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय : 9 घंटे 22 मिनट

वित्त विधेयक, 2010

श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 28.04.2010 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कल्याण बनर्जी
2. श्री अनंत गंगाराम गीते
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री भूपेन्द्र सिंह
6. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*7. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

*8. श्री रूद्रमाधव राय

9. श्री मंगनी लाल मंडल
10. श्री नीरज शेखर
11. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

*12. श्री विष्णु पद राय

13. श्री एल॰ राजगोपाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

14. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
*15. श्री सतपाल महाराज
16. श्री शरीफुद्दीन शारिक
*17. डॉ॰ (श्रीमती) झाँसी बोचा लक्ष्मी
18. श्री नामा नागेश्वर राव
19. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
*20. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
21. डॉ॰ जी॰ विवेकानन्द
*22. श्री गणेश सिंह
23. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
*24. श्री सी॰ सिवासामी
*25. श्री पी॰ कुमार
26. डॉ॰ बलीराम
27. डॉ॰ तरूण मंडल
28. श्री पी॰ करुणाकरन
29. मौलाना बदरूद्दीन अजमल
*30. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पृथ्वीसिंह चौहान
*31. श्री हंसराज गं॰ अहीर
*32. श्री ई॰ जी॰ सुगावनम
*33. श्री दत्ता मेघे
*34. श्री वीरेन्द्र कश्यप
*35. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
36. श्री नारायण सिंह अमलाबे
37. श्री तूफानी सरोज
*38. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

39. श्री विजय बहादुर सिंह

40. श्री लालू प्रसाद

*41. श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद

*42. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू

*43. श्री गोरख नाथ पाण्डेय

*44. श्री घनश्याम अनुरागी

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से 59 स्वीकृत हुए।

खंड 60 स्वीकृत हुआ।

खंड 61 से 62 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

नया खंड 62क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 62क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 63 से 74 स्वीकृत हुए।

खंड 75, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 76 से 86, यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

पहली से सातवीं अनुसूचियाँ स्वीकृत हुईं।

आठवीं अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

नौवीं से बारहवीं अनुसूचियाँ स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि पेश किया गया विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 6.09 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 30 *अप्रैल,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2204LS—29-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 अप्रैल, 2010/10 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 81

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 501—504 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 505—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5676—5905 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ एकाउंटेंटों और लेखा सहायक (रेल) को सैद्धांतिक रूप से 1.1.1986 से और वास्तविक भुगतान 12.11.2001 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमानों के समान अपग्रेडेड वेतनमान दिए जाने के संबंध में माध्यस्थम पंचाट बोर्ड अधिनिर्णय सी॰ए॰ संदर्भ संख्या 3, वर्ष 2001 को अस्वीकृत किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यातायात भत्ते की दरों के संशोधन के संबंध में माध्यस्थम पंचाट बोर्ड अधिनिर्णय सी॰ए॰ संदर्भ संख्या 3, वर्ष 2004 को अस्वीकृत किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 253(अ) जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 254(अ) जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 255(अ) जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 283 (अ) जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 307 (अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 100/89-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 328 (अ) जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम 2010, जो भारत के राजपत्र में 8 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 775(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 776(अ) जो 8 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित भारत से बाहर के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 जो 25 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/186(201)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल-7/139(159)/2008-सीईआरसी जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में व्यस्तता को कम करने के उपाय) विनियम, 2009 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) जी॰के॰ जनरल हास्पीटल सोसाइटी, भुज के वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, इटानगर का वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 27 अप्रैल, 2010 को पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 28 अप्रैल, 2010 को पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) की 121वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने जिनेवा (स्वीटजरलैंड) में 19 से 21 अक्तूबर, 2009 तक आयोजित अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) की 121वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2009–10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(2) संघ सरकार (वाणिज्यिक) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 11 सीए, वर्ष 2008 के लेखापरीक्षा पैरा 14.4.1 पर आधारित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि॰ (एचपीसीएल) — में प्रोत्साहन का अनुत्पादक भुगतान के बारे में 31वें (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण–अवसंरचना और प्रचालनगत सुविधाओं की समीक्षा [भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 17, वर्ष 2007 (निष्पादन लेखापरीक्षा) (वाणिज्यिक) पर आधारित] के बारे में 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010–2011) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 210वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009–2010) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 3 मई, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.11 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

कुंवर रेवती रमन सिंह ने प्रधानमंत्री राहत कोष से गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए वित्तीय राहत देने के लिए संसद सदस्यों का सिफारिशी कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया। श्रीमती सुस्मिता बाउरी, प्रो॰ शेख सैदुल हक, डॉ॰ पुलीन बिहारी बासके तथा श्री राजेन्द्र अग्रवाल सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 1.36 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 1.37 बजे

11. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 4 घंटे 28 मिनट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009

श्री जयराम रमेश द्वारा 15 मार्च, 2010 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्रीमती सुप्रिया सुले
3. श्रीमती मेनका गांधी
4. श्री प्रदीप टम्टा
5. श्री सी॰ शिवासामी
6. श्री जगदानंद सिंह
7. श्री मंगनी लाल मंडल
8. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
9. श्री प्रेम दास राय
10. श्री विभू प्रसाद तराई
11. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू
12. डॉ॰ चार्ल्स डिएस
13. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
14. श्री भक्त चरण दास
15. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री जयराम रमेश ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री जयराम रमेश द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा खंड 4 के लिए पेश की गई संशोधन संख्या 51 अस्वीकृत हुई।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा खंड 16 के लिए पेश की गई संशोधन संख्या 53 अस्वीकृत हुई।

खंड 16, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 17, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 19 स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 19क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 19क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 20, यथासंशोधित,स्वीकृत हुआ।

खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22 स्वीकृत हुआ।

खंड 23 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 27 स्वीकृत हुआ।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।

खंड 34, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 35 और 36 स्वीकृत हुए।

खंड 37, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अनुसूची I तथा अनुसूची II स्वीकृत हुई।

अनुसूची III, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जयराम रमेश ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथाासंशोधित पारित किया गया।

अपराहन 4.01 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्रीमती सुप्रिया सुले का दो संतान सन्नियम विधेयक, 2009

(2) श्रीमती सुप्रिया सुले का विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009

(3) श्री वरुण गांधी का भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2009 (नई धारा 23क का अंत:स्थापन)

(4) श्री एल॰ राजगोपाल का जाति या धार्मिक अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2009

(5) श्री एल॰ राजगोपाल का राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधयेक, 2010 (नई धारा 2क का अंत:स्थापन)।

(6) श्री अधीर रंजन चौधरी का बालक श्रम उत्पादन विधेयक, 2010

(7) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन का बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक, 2010

(8) श्रीमती सुप्रिया सुले का यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 4क का अंत:स्थापन)

(9) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन का प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2010

(10) श्री अर्जुन राम मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)

(11) श्री अर्जुन राम मेघवाल का कीमत नियंत्रण विधेयक, 2010

(12) श्री अर्जुन राम मेघवाल का निर्धन व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2010

(13) श्री ओम प्रकाश यादव का जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010

(14) एडवोकेट पी॰टी॰ थॉमस का कृषक (वृद्धावस्था पेंशन) विधेयक, 2010

(15) श्री अधीर रंजन चौधरी का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 335क का अंत:स्थापन)।

(16) श्री सतपाल महाराज का गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति (पहचान करना) विधेयक, 2010

(17) श्री प्रदीप टम्टा का स्वैच्छिक संगठन (विनियम) विधेयक, 2010

(18) श्री राजेन्द्र अग्रवाल का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 4 का संशोधन, आदि)

(19) श्री जगदम्बिका पाल का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापनेतर स्टॉफ की सेवा की शर्तें) विधेयक, 2010

अपराह्न 4.11 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

श्री जय प्रकाश अग्रवाल का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009

श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा 4 दिसम्बर, 2009 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार

4. श्री सतपाल महाराज
5. श्री एस॰ सेम्मलई
6. डॉ॰ (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड
7. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
8. डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय
9. श्री राजाराम पाल
10. श्री प्रेमदास
11. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
12. श्री विजय बहादुर सिंह
13. चौधरी लाल सिंह
14. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
15. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.30 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 मई, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2248LS—30-04-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 मई, 2010/13 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 82

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री ए॰ जयमोहन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 521का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 522—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5906—6135 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 687(अ) जो 25 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 25 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 686(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 25 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 685(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०आ० 16(अ) जो 18 जुलाई, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में पाँच वर्ष की अवधि की सेवा अथवा ड्यूटी को उक्त अधिनियम के आशय और प्रयोजनार्थ "सक्रिय सेवा" घोषित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी (वायरलेस टेलीग्राफी ऑपरेट करने हेतु वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर दक्षता प्रमाणपत्र तथा लाइसेंस) संशोधन नियम, 2009 जो 6 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 7(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी (एमैच्योर सर्विस) संशोधन नियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 49(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 1 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 279(अ) में प्रकाशित और उसका शुद्धि पत्र।

(12) (एक) सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 30 अप्रैल, 2010 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 8वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विदेश मंत्री ने "प्रधान मंत्री का 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के लिए भूटान का दौरा" के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) ग्रामीण विकास मंत्री ने भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित भारत में पेटेंट और व्यापार चिह्न प्रणाली के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 88वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्रमश: डाक विभाग और दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010*

(दो) *शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010*

(तीन) *विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010*

(चार) *राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010*

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री शरद यादव
4. श्री लालू प्रसाद
5. श्री दारा सिंह चौहान
6. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
7. श्री गुरुदास दासगुप्त
8. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्री बसुदेव आचार्य
10. श्री आनंदराव अडसुल
11. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.21 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए

जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) चौधरी लाल सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर में 1 जनवरी, 2001 से 28 मई, 2001 तक एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ बंद किए जाने से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में मैसूर–चामराजनगर ब्रॉडगेज खण्ड पर मरयाला हुन्डी और अन्य स्थानों पर रेलवे द्वारा चल रहे सड़क उपरि–पुल कार्य को समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा गुजरात में पीने के लिए तथा सिंचाई के प्रयोजनार्थ जल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में एक मेगा टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी में बार–बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रताप नारायण राव सोनवणे द्वारा महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादकों, जिन्हें यूरोपीय देशों द्वारा उनकी फसल में रसायन की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए उनकी खेप के अस्वीकृत किए जाने के कारण हानि हुई है, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा चंदनकियारी ब्लॉक, जिला बोकारो, झारखण्ड में इस्पात संयंत्र की स्थापना शीघ्र करने और इस प्रयोजनार्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन वापस किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री नीरज शेखर द्वारा बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के संदूषण के उच्च स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) और बेतिया (बिहार) के बीच नारायणी नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा कोसी एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा देश में उच्च शैक्षिक संस्थाओं में संकायों की बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जयंत चौधरी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियत मानकों के अनुसार पेंट और प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण में गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰ बदरुद्दीन अजमल द्वारा असम के धुबरी जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के उपबंध सहित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक विशेष कैम्पस स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.22 बजे

12. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 12 मिनट

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 1क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 1क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 13 स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:–

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 13क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 13क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 से 21 स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:–

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 21क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 21क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 2.35 बजे

(दो) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010

लिया गया समय: 3 मिनट

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत और खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 2.38 बजे

(तीन) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री गुलाम नबी आजाद ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 56 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.40 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 4 मई, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2291LS—03-05-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 83

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री टी॰ बाला गौड़ के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 541का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 542—560 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6136—6365 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक महानिरीक्षक, विधि और विनियम, समूह 'क' पद, पहला संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 214(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, काम्बैटेन्ट मिनिस्टेरियल कैडर एण्ड काम्बैटेन्ट स्टेनोग्राफर कैडर समूह—'ख' तथा समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 287 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाइज्ड (राजपत्रित) मिनिस्टेरियल एण्ड प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर पद भर्ती नियम, 2010, जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 202(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड टेलीकम्युनिकेशन कैडर समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010, जो 16 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 192(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिकल पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2009, जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 47(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 879 (अ) जो 19 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश-IV-सह-प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 772 (अ) जो 7 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2948(अ) वापस लिया गया है।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) जम्मू-कश्मीर बागवानी उपज विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1993-1994 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर बागवानी उपज विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1993-1994 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) चीनी उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 495(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 327(अ) और का॰आ॰ 328 जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 329(अ) और का॰आ॰ 330(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 499(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 505(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 398(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 490(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 407(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (ओचिरा-तिरुवनंतपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 408(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 3212(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5

(चिल्कालुरीपेट–विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 186(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाडा–मछलीपटनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 282(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा–करनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 491(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा–करनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 120(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाडा–बांदर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 3213(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूट्टानी–चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 588(अ) जो 15 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 132(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाडा–मछलीपटनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठारह) का॰आ॰ 492(अ) जो 26 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 765(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 437(अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगांव-अमरावती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 477(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 478(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 497(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुल्बागल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 576(अ) जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नीलमंगला-हासन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 673(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13

(हट्टुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी संख्या 5 सोलापुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 382(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 585(अ) जो 12 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 622(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 671(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 753(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल-बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 763(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का॰आ॰ 761(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 184(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (परियोजना श्रृंखला) (केरल-तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी खण्ड) और (नागरकोइल-कवलकिनारू खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 185(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख (परियोजना श्रृंखला) (नागरकोइल-कवलकिनारू खण्ड)के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 364(अ) और का॰आ॰ 365(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुक्कोट्टाई-थूथुक्कुडी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 421(अ) जो 18 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 67 एक्सटेंशन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 एक्सटेंशन कोयम्बटूर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 435(अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड)के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 449(अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 370(अ) और का॰आ॰ 371(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 404(अ) जो 17 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67

(तंजावुर–तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 450 (अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 496 (अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1501(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का॰आ॰ 630(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3213(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेतालीस) का॰आ॰ 670(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख (परियोजना श्रृंखला) (नागरकोइल–कवलकिनारू खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 451 (अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 488(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापट्टिनम–तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालिस) का॰आ॰ 624 (अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापट्टिनम–तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 694 (अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुचिरापल्ली–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 692 (अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुट्टानी–चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 696(अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली–वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 697 (अ) जो 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 703(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 (डिंडीगुल–कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 448(अ) जो 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2083(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तरेपन) का॰आ॰ 363(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत–दहीसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 378(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत–दहीसार

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 3270(अ) जो, 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 566(अ) जो, 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 3232(अ) जो, 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2127(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठावन) का॰आ॰ 470(अ) जो, 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 10 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1428(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(उनसठ) का॰आ॰ 423(अ) जो, 18 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 506(अ) जो, 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (उदयपुर-अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 85(अ) जो, 15 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (चित्तौड़गढ़-मंगलवार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 695(अ) जो, 26 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11

(जयपुर–रींगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तरेसठ) का॰आ॰ 452(अ) जो, 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 605(अ) जो, 16 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भतरपुर–महुआ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 689(अ) जो, 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 21 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3270(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(छियासठ) का॰आ॰ 436(अ) जो, 23 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भतरपुर–महुआ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 677(अ) जो, 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली–कोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 376(अ) जो, 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली–झालावाड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 912(अ) जो, 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडापे–गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 557(अ) जो, 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2654(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 314(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 3194(अ) जो 14 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 286(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 535(अ) जो 4 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 536(अ) जो 4 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 3137(अ) जो 7 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2799(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 3109(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-डोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 405(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31डी के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 285(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 319(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर–फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 475(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 316(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 561(अ) जो 9 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 57(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57ए के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 3151(अ) जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 3149(अ) जो 8 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 275(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 493(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 577(अ) जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नब्बे) का॰आ॰ 3115(अ) जो 4 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 318(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 320(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरानवें) का॰आ॰ 606(अ) जो 17 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौरानवें) का॰आ॰ 672(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3050(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचानवें) का॰आ॰ 471(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियानवें) का॰आ॰ 472(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(16) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को शक्तियां प्रदान करना' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2009-10) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी कार्य तथा मत्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) खान मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री की ओर से रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "टेलीविजन ऑडिएन्स मेजरमेंट इन इंडिया" विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध बोर्ड विधेयक, 2010

अपराह्न 12.10 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने मुंबई में रेलवे मौटरमैन और लोको पायलटों द्वारा हड़ताल के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री अनंत गंगाराम गीते
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री गोपीनाथ मुंडे

4. श्री बसुदेव आचार्य
5. डा॰ संजीव गणेश नाईक
6. श्री गुरूदास दासगुप्त
7. श्री सुदीप बंधोपाध्याय
8. श्री आनंदराव अडसुल
9. श्री लालू प्रसाद
10. कुंवर रेवती रमन सिंह

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा ने भी इस मामले पर वक्तव्य दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.31 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा चंगन्नूर, अलापुझा जिला, केरल में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा अन्य राज्यों को सैला चावल भेजने और अन्य देशों को इसका निर्यात करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पी॰ बलराम नायक द्वारा आन्ध्र प्रदेश में भद्राचलम और कोवूर के बीच एक नई रेल लाईन का निर्माण करने के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर पूर्व रेलवे में कार्यरत रेलवे गार्ड की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 5.43 बजे

(5) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा केरल में केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के बेहतर और प्रभावकारी प्रशासन के लिए कोच्चि में मुख्यालय रखते हुए एक पृथक रीजन सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा में चरखी दादरी शहर में उत्तर पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी-हिसार खण्ड पर चौकीदार वाले रेल समपार संख्या सी-33 के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जयवंत राव आवले द्वारा देशभर में पेट्रोल पम्पों पर धोखाधड़ी को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा सीकर (राजस्थान) और सिरसा (हरियाणा) के बीच एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री विष्णु पद राय द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी पेंशनभोगियों और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए मेडिक्लेम पालिसी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मिथिलेश कुमार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती कैसर जहां द्वारा सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में बुनकरों के कल्याण और विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपीग्राफी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गणेशराव दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र में जायकवाड़-माजलगांव राइट बैंक नहर परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पी॰ लिंगम द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गाँव मदातुपट्टी में डूब गए बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डा॰ मिर्जा महबूब बेग द्वारा उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों में कमी करने के लिए एक देशी व्यापक नीति तैयार करने तथा सौर और नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डा॰ चार्ल्स डिएस द्वारा केरल में एर्नाकुलम और कोझीकोडे में सीजीएचएस डिसपेन्सरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 5.30 बजे

11. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय : 7 मिनट

(एक) उर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 16 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.37 बजे

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

लिया गया समय: 5 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 5.47 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 5 *मई,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई*)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2390LS(S3)—04-05-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 मई, 2010/15 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 84

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, कल माननीय सदस्य श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कतिपय शब्दों का इस्तेमाल किया। वे शब्द और जिस तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह सदन के एक सदस्य के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। मैं इस तरह के आचरण का निरनुमोदन करती हूं। मैं आशा करती हूं कि सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्षपीठ को इस तरह की टिप्पणी करने का दोबारा अवसर नहीं देगा।''

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 561 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 562—580 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6366—6595 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा (1) की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 मार्च, 2010 को वह तारीख जिसे उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2009, जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2009, जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 894(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 906(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 907(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 2009, जो 18 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 912(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 71(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2010, जो 12 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2010, जो 12 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 228(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 233(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 234(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 236(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 237(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 238(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 239(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 240(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 241(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 242(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 243(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 244(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 245(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 246(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 250(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 251(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 2010, जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2010, जो 25 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 102(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2010, जो 3 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 172(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेंतालीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2010, जो 3 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चवालीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2010, जो 8 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतालीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पंद्रहवां संशोधन नियम, 2010, जो 8 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 299(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छियालीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2010, जो 8 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 769(अ) जो 7 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पादप और जंतुओं की प्रजातियां जो पश्चिम बंगाल राज्य में विलुप्त होने की कगार पर हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 770(अ) जो 7 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पादप और जंतुओं की प्रजातियां जो गोवा राज्य में विलुप्त होने की कगार पर हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 2154(अ) जो 24 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बालू खनन के बारे में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 342(अ) जो 12 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बालू खनन के बारे में है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 116(अ) जो 19 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण के बारे में है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 61(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण के बारे में है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 3250(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो दमण और दीव तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण के बारे में है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 3251(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो लक्षद्वीप तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण के बारे में है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 2294(अ) जो 9 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जो कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण के बारे में है।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 661(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज करने के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 662(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को इस शर्त के अध्यधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी से ऐसे प्राधिकारी को कोई प्रतिवेदन, विवरणी, सांख्यिकी, लेखे तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इसके कृत्यों के संबंध में अन्य जानकारी प्रस्तुत करवाएगा।

(9) (एक) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

तेरहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या उनतीस	पांचवां सत्र, 2000
2.	विवरण संख्या सैंतालीस	छठा सत्र, 2001
3.	विवरण संख्या उनतीस	बारहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

4.	विवरण संख्या इक्कीस	चौथा सत्र, 2005
5.	विवरण संख्या चौदह	नौवां सत्र, 2006
6.	विवरण संख्या तेरह	दसवां सत्र, 2007
7.	विवरण संख्या ग्यारह	ग्यारहवां सत्र, 2007
8.	विवरण संख्या दस	बारहवां सत्र, 2007
9.	विवरण संख्या आठ	तेरहवां सत्र, 2008
10.	विवरण संख्या छह	चौदहवां सत्र, 2008
11.	विवरण संख्या पांच	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

12.	विवरण संख्या चार	दूसरा सत्र, 2009
13.	विवरण संख्या दो	दूसरा सत्र, 2010

(16) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नॉर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सूरत के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सूरत के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सूरत के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एजुकेशनल कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकन्दराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकन्दराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट डीपीआई कैम्पस, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट डीपीआई कैम्पस, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) झारखण्ड महिला समाख्या सोसायटी, राँची के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड महिला समाख्या सोसायटी, राँची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे मानित विश्वविद्यालयों सहित तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में रैंगिंग का निवारण और प्रतिषेध) विनियम, 2009, जो 15 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 37-3/लीगल/एआईसीटीई/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 34 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (परिषद्) नियम, 2009 जो 26 सितम्बर, 2009

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 138 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:—

1. श्री कामेश्वर बैठा	-	19.11.2009 से 21.12.2009
2. श्री गजानन ध० बाबर	-	30.11.2009 से 14.12.2009
3. श्री यशवंत सिन्हा	-	19.11.2009 से 08.12.2009
4. श्री शिवाजीराव अधलराव पाटील	-	05.12.2009 से 21.12.2009
5. श्री कबीर सुमन	-	26.02.2010 से 16.03.2010
6. श्री बलीराम कश्यप	-	22.02.2010 से 07.05.2010
7. श्री शिबू सोरेन	-	19.11.2009 से 21.12.2009 और
		22.02.2010 से 16.03.2010

8. श्री रमाकान्त यादव	–	19.11.2009 से 21.12.2009 22.02.2010 से 16.03.2010	क्षमा की गई
		और	
		15.04.2010 से 21.04.2010 22.04.2010 से 07.05.2010	अनुमति दी गई
9. श्री के॰ चन्द्रशेखर राव	–	19.11.2009 से 21.12.2009 और 22.02.2010 से 16.03.2010	
10. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	–	10.03.2010 से 16.03.2010 और 12.04.2010 से 26.04.2010	

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 29 अप्रैल, 2010 को पारित वित्त विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मेनका गांधी ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध के बारे में छठा और सातवां प्रतिवेदन।

***8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री मुकेश बी॰ गढ़वी ने 'केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन, आपूर्ति, वितरण, डीलरशिप और मूल्य निर्धारण' के बारे में 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2009-10) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

***9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री मुकेश बी॰ गढ़वी ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले पेट्रोलियम

---

*अपराह्न 2 बजे

और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास की रणनीति' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 214वें प्रतिवेदन के अध्याय-तीन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

    (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005), (2006-2007), (2007-2008) और (2008-2009) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: पहले, 14वें, 19वें और 31वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशें के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित ''सीबीआई का कार्यकरण'' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित ''कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति'' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान पर्यटकों के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं'' विषय पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल द्वारा विभिन्न समुद्री यानों में काम करने के दौरान लापता हो गए केरल के युवाओं का पता लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री संजय भोई द्वारा देश में लौह और मैंगनीज अयस्क के अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के उतिरामेरूर पंचायत में वर्तमान डाकघर का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा देश के शहरों में, विशेषकर उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों का विकास कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा बराक घाटी तथा सम्पूर्ण असम में प्रचंड तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत प्रणाली का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माधवपुरम और शताब्दी नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रेवती रमन सिंह द्वारा इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नैनी में 'श्रमिक बस्ती' में निवास करने वाले कामगारों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में चीनी मिल को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कोलाचल पत्तन को एक प्रमुख कन्टेनर पोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा को केन्द्रीय पूल से बिजली आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ सी॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में, ऐसी दवाएं जिनकी निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी हैं, की बिक्री करने तथा इस प्रकार रोगियों की जान खतरे में डालने वाले व्यक्यिों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रति क्विंटल किए जाने तथा जूट उद्योग में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 2.13 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 47 मिनट
शेष: 1 घंटा 13 मिनट

श्री अनंत कुमार ने जनगणना, 2011 के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक चर्चा उठाई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.44 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.30 बजे

श्री अनंत कुमार ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.44 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.44 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.44 बजे

श्री अनंत कुमार ने आगे अपना भाषण पुन: आरंभ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा। चर्चा पूरी नहीं हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 4.46 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 6 मई, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

*अपराह्न 2.03 बजे से अपराह्न 2.12 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

GMGIPMRND—2432LS(S3)—05-05-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 मई, 2010/16 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 85

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 581—585 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 586—600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6596—6799 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2010 जो 8 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 297(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) हैण्डिक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड सिल्कवर्म सीड विनियम, 2010 जो 16 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 194(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग निषेध) संशोधन आदेश, 2010 जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 281(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सोल्वेन्ट, रैफिनेट एण्ड स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग निषेध) संशोधन आदेश, 2010 जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 282(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के वर्ष 2007-2008 के कार्य विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एनईपीए लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 5 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 2010 को पारित राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 5 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2010 को पारित उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा ने 5 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में तमिलनाडु विधान परिषद् विधेयक, 2010 को पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

तमिलनाडु विधान परिषद् विधेयक, 2010

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पटना मंडल कार्यालय, पटना, बिहार के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, दानापुर शाखा कार्यालय से बाहर की शाखा में धोखेबाजी से भारतीय जीवन बीमा निगम का धन हथियाए जाने तथा मेसर्स तनेजा सर्विस स्टेशन का पेट्रोल पम्प झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया जी॰टी॰ रोड, शाहदरा, दिल्ली से दूसरे स्थान पर ले जाने से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में 20वें और 30वें प्रतिवेदनों (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, राजस्थान के स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मचारियों को 1.1.1992 से 31.12.1998 की अवधि के पुनरीक्षित वेतन की बकाया राशि का भुगतान करने; तथा एचएमटी, बंगलौर के भूतपूर्व कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में प्राप्त याचिका/अभ्यावेदन के बारे में 34वें और 44वें प्रतिवेदनों (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन।

7. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मिलिंद देवरा ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहले प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के विवरण

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों तथा अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) (चौदहवीं लोक सभा) के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 'देश में उपभोक्ता आंदोलन (चौदहवीं लोक सभा)' विषय पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) (चौदहवीं लोक सभा) के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(4) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 'गेहूं के आयात पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण और प्रभाव तथा काला बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 का प्रवर्तन' विषय पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

9. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हसन खान ने वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. श्रम संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री हसन खान ने वस्त्र मंत्रालय की 'हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) (पंद्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमन डेका ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 145वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगलौर और हैदराबाद विमानपत्तनों के बंद होने के बारे में 131वें प्रतिवेदन तथा विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के बारे में 141वें प्रतिवेदन तथा निजी विमानपत्तनों के कार्यकरण के बारे में 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 159वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'किरासन एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन, आपूर्ति, संवितरण, डीलरशिप और मूल्यनिर्धारण' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#अपराह्न 12.12 बजे

14. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने कामकाजी महिलाएं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में निर्धन महिला कर्मकारों की दयनीय दशा से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

***15. प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा 5 मई, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

#अपराह्न 12.49 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*अपराह्न 12.10 बजे।

अपराह्न 2.02 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में प्रस्तावित वस्त्र इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री महाबल मिश्रा द्वारा पश्चिम दिल्ली के और अधिक क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री किसनभाई वी॰ पटेल द्वारा गुजरात के वलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर अन्डरपास तथा पैदल उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हर्ष वर्धन द्वारा जीवन रक्षक तथा अनिवार्य दवाओं को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हरीश चौधरी द्वारा पाकिस्तानी जेलों में बंद बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा जैसलमेर के निवासियों की शीघ्र मुक्ति के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के मशरूम उत्पादकों को बिजली मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कावलकिनरू में रेलवे स्टेशन पुन: खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पंजाब के भामियाल के नोराट जयमाल सिंह क्षेत्र में उग्रवादियों के साथ लड़ाई के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों के शोक-संतप्त परिवारों को समुचित मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा कपास के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ किरीट पी॰ सोलंकी द्वारा देश में कपास उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा मणिपुर में उग्रवादी गुट–आरपीएफ द्वारा गैर–मणिपुरियों को बाहर निकाले जाने की धमकी से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती कमला देवी पटले द्वारा छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चम्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हसदेव नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा चन्द्रपुर, यवतमाल और नागपुर जिले के ऐसे किसानों, जिनकी भूमि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिगृहित की गई है, को समुचित मुआवजा तथा उचित पुनर्वास प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री प्रेमदास द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचनंदा परियोजना के पूरा करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड में निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाओं को खुले बाजार के माध्यम से भाड़े पर लिए जाने की प्रवृत्ति समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डा॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा जनगणना, 2011 में दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों से संबंधित डाटा रिकार्ड किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 48 मिनट

श्री अनंत कुमार द्वारा जनगणना, 2011 के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में 5 मई, 2010 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद–विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री भक्त चरण दास
3. श्री दारा सिंह चौहान

4. श्री शरद यादव
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
7. डॉ॰ रामचन्द्र डोम
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री गोपीनाथ मुंडे
10. श्री संदीप दीक्षित
11. श्री समीर भुजबल
12. श्री आनंद प्रकाश परांजपे
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री गुरुदास दासगुप्त
15. श्री एच॰डी॰ देवेगौड़ा
16. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
17. श्री लालू प्रसाद
18. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
19. श्री ओ॰एस॰ मणियन
20. श्री शरीफुद्दीन शारिक
21. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
22. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
23. चौधरी लाल सिंह
24. श्री असादूद्दीन ओवेसी
*25. श्री हंसराज गं॰ अहीर
26. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
*27. श्री हरिभाऊ जावले
28. डॉ॰ तरूण मंडल
29. श्री राजाराम पाल

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*30. श्री एस॰ सेम्मलई

31. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*32. श्री शैलेन्द्र कुमार

33. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

34. डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय

35. श्रीमती रमा देवी

*36. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

*37. श्री रावसाहेब पाटील दानवे

*38. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल

*39. श्री पी॰टी॰ थॉमस

*40. श्री पन्ना लाल पुनिया

*41. श्री अवतार सिंह भडाना

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.05 बजे

18. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 15 मिनट

(एक) *तमिलनाडु विधान परिषद् विधेयक, 2010*

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री टी॰ आर॰ बालू
2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
3. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री मंगनी लाल मंडल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

6. श्री पी॰ के॰ बिजू
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्री गणेशराव दूधगांवकर
10. श्री लालू प्रसाद
11. श्री पी॰ लिंगम
12. श्री शरीफुद्दीन शारिक
13. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.21 बजे

लिया गया समय: 40 मिनट

(दो) *भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक,* 2009

श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से श्री अजय माकन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
*2. श्री प्रेमदास राय
3. डा॰ थोकचोम मैन्या

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

4. श्री शैलेन्द्र कुमार

5. श्री ए॰ सम्पत

6. श्री एस॰ सेम्मलई

7. श्री भर्तृहरि महताब

8. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

*9. श्री प्रताप सिंह बाजवा

श्री अजय माकन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 18 स्वीकृत हुए।

खंड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 20 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 33 से 37 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, यथासंशोधित, भी स्वीकृत हुआ।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से श्री अजय माकन ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

रात्रि 8.02 बजे

(तीन) *बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथापारित ।*

लिया गया समय: 1 घंटा 07 मिनट

श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से श्री हरीश रावत ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
2. श्री पवन सिंह घाटोबार
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री महेन्द्र कुमार राय
5. श्री मनोहर तिरकी
6. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
7. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
8. श्री पी॰ टी॰ थॉमस

श्री हरीश रावत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हरीश रावत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 9.10 बजे

(चार) *यातना निवारण विधेयक, 2010*

लिया गया समय: 1 घंटा 01 मिनट

श्री पी॰ चिदम्बरम ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल
2. डॉ॰ शशि थरूर
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री ए॰ सम्पत
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री पन्ना लाल पुनिया
7. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
8. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*रात्रि 10.47 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 मई, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*रात्रि 10.12 बजे से रात्रि 10.47 तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2476LS(S3)—06-05-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 मई, 2010/17 वैशाख, 1932 (शक)

संख्या 86

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री आर॰पी॰ यादव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 601—604 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 605—620 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6800—7029 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2010-2011 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत ताजा प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य तथा मात्स्यिकी उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) संशोधन नियम, 2009 जो 28 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2714(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मई, 2010 में की-गई-कार्यवाही के बारे में 14वां प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2010-11 का संख्यांक 4)—मार्च, 2008 में समाप्त हुए वर्ष के लिए त्वरित सिंचाई अनुलाभ कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा, जल संसाधन मंत्रालय।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2010-11 का संख्यांक 5)—मार्च, 2008 में समाप्त हुए वर्ष के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन समूह योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक 7) (प्रत्यक्ष कर)—मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विवरणी।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2008-09 का संख्यांक 1)—मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखे।

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2009-10 का संख्यांक 23)—मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वायत्त निकाय।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए संघ सरकार के वित्तीय लेखे।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे।

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

(चार) वर्ष 2008-2009 के लिए डाक सेवाओं के विनियोग लेखे।

(16) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 198(अ) जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के०उ०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 23 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का०आ० 943(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का०आ० 516(अ) जो 2 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक जिसे इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक कहा जाएगा, में किए जाने के बारे में है।

(दो) का०आ० 1(अ) जो 1 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक जिसे बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक कहा जाएगा, में किए जाने के बारे में है।

(19) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के निवासी का विदेशी मुद्रा लेखा) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 340(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 196(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) जी॰के॰ जनरल हॉस्पिटल, भुज के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2010 जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) विवरण में उल्लिखित 8 संस्थाओं के वर्ष 2008-09 के लिए तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए तथा रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ

मेडिकल साइंसेस के वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 1866(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है, तथा जिसमें उन्हें सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 की धाराओं 12 और 13 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम होंगे, को प्रवेश, तलाशी तथा जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(दो) का॰ आ॰ 23(अ) जो 6 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1866(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियम, 2009 जो 19 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग का प्रदर्शन) (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰नि॰ 176(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 9 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 179(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(32) उपर्युक्त (31) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 6 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2010 को पारित कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही-सारांश

डा॰ बलीराम ने 3 मई, 2010 को सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की पहली बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 5वां प्रतिवेदन।

(2) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'वृक्षों का काटा जाना' के बारे में श्री पूर्णमासी राम, संसद सदस्य द्वारा 30.4.2010 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न 5710 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

10. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने दिल्ली में कोबाल्ट-60 के विकिरण प्रभाव के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु और अनेक व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ओर परमाणु ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (परमाणु ऊर्जा विभाग) ने इस संबंध में वक्तव्य दिया। प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (परमाणु ऊर्जा विभाग) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 12.54 बजे

11. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010

अपराह्न 1.11 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे

श्री अनंत कुमार द्वारा जनगणना, 2011 के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में 5 मई, 2010 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

*डॉ॰ मनमोहन सिंह ने भी उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 1.24 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा तमिलनाडु के वृद्धाचलम से सेलम तक चलने वाली ट्रेन संख्या 838 को कडल्लूर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री के॰ पी॰ धनपालन द्वारा केरल राज्य को मुसरीज परियोजना—प्राचीन सांस्कृतिक स्थलों का पुररुद्धार और विकास योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों जैसे महबूबनगर, निजामाबाद, कुरनूल और कडप्पा को मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के वरसा और गढ़चिरौली के बीच रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 2.30 बजे

(5) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा नए चालू होने वाले कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से तमिलनाडु राज्य को बिजली आवंटित किए जाने तथा राज्य में सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना करने के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एल॰ राजगोपाल द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के बच्चों को उनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मानिक टैगोर द्वारा नर्सिंग पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को मार्गनिदेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सी॰ एल॰ रुआला द्वारा मिजोरम में ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में मौजूद प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित निधियों के आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) कुमारी सरोज पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ में दुर्ग-भिलाई सीमा पर थाग्रा नहर रेलवे क्रॉसिंग तथा भिलाई सिटी के मरोडा रेलवे क्रॉसिंग पर रेल अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, घनौली-बड्डी, नांगल-तलवाड़ा और बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले को दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी जिले के मकनपुर में स्थित मादरशाह के मकबरा को रेल, सड़क सुविधाओं से जोड़ने और वहां आधारभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा उसे भारत के पर्यटन मानचित्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में होसुर के गुलाब उत्पादकों को समुचित वित्तीय तथा अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने तथा उस क्षेत्र में एक गुलाब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री तरुण मंडल द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रैफिकिंग को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.25 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सलमान खुर्शीद ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

(चर्चा स्थगित हुई और नीचे पैरा 16 के अनुसार पुनः आरंभ हुई।)

(लोक सभा अपराह्न 1.27 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.34 बजे

15. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ 9 मई, 2010 से मनाने के बारे में निवेदन किया। डा॰ रामचन्द्र डोम सहयोजित हुए।

डा॰ मनमोहन सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.45 बजे

16. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा

उपरोक्त पैरा 14 में उल्लिखित कार्य की मद के बारे में चर्चा पुनः आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
2. मौलाना असरारुल हक मोहम्मद
3. डा॰ मोनाजिर हसन
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. प्रो॰ शेख सैदुल हक
6. श्री प्रबोध पांडा

7. श्री अर्जुन चरण सेठी
8. श्री लालू प्रसाद
9. श्री शरीफुद्दीन शारिक
10. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
11. श्री हमदुल्ला सईद
12. श्री विजय बहादुर सिंह
13. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

श्री सलमान खुर्शीद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 49 स्वीकृत हुए।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सलमान खुर्शीद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.45 बजे

17. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पंद्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 3.57 बजे

18. राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 3.58 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 3.58 *बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई*)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2485LS(S3)—07-05-2010.